रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1599] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938
No. 1599] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASADHA 7, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2016

का.आ. 2220(अ)- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी 3039वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत संकल्प सं. 733 (1992) [इस आदेश के साथ उपाबद्ध-I के रूप में संलग्न] को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत सोमालिया में शांति और स्थिरता स्थापना करने के प्रयोजन के लिए सभी राष्ट्रों से अपेक्षित है कि वह जबतक कि परिषद अन्यथा निर्णय न ले, सोमालिया को आपूर्ति किए जाने वाले सभी हथियारों तथा सैन्य उपकरणों पर व्यापक और संपूर्ण निषेध लगाएं;

और जबकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी 6019वीं बैठक में संकल्प सं. 1844 (2008) को स्वीकार किया जिसमें अपेक्षित है कि सभी राष्ट्र संकल्प सं. 751 (1992) के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा नामोर्दिष्ट व्यक्तियों को अपने-अपने राज्य-क्षेत्रों में प्रवेश करने अथवा वहां से गुजरने पर रोक लगाने हेतु अपेक्षित का उपाय करे और इस संकल्प पैरा 3 में अपेक्षित है कि सभी राष्ट्र इस समिति द्वारा नामोर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा गुटों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित अथवा नियंत्रित इन राष्ट्रों के राज्य-क्षेत्र में स्थित निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाए और यह सुनिश्चित करे कि उनके भू-क्षेत्र में उनके नागरिकों अथवा किसी भी व्यक्ति अथवा गुट द्वारा ऐसे व्यष्टिकों अथवा गुटों के फायदा ऐसी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधन उपलब्ध न कराए जा रहे हों।

और जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी 6254वीं बैठक में संकल्प 1907(2009) को अंगीकृत किया, जिसके तहत अपेक्षित है कि सभी राष्ट्र इरीट्रिया को उसके राष्ट्रिकों द्वारा अथवा उसके राज्य-क्षेत्रों से उस देश के मस्तूलवाले जलयान या वायुयान का इस्तेमाल करके अस्त्र-शस्त्र तथा सभी प्रकार की संबंधित सामग्री जिनमें हथियार तथा गोला-बारूद, सैन्य वाहन तथा उपकरण परा-सैन्य उपकरण तथा उपरोक्त के कलपुर्जे शामिल है की आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरित करने और साथ ही तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता, जो सैन्य कार्यकलापों से संबंधित हो अथवा इन मदों का उपाबंध, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग से संबंधित हो, चाहे वह उनके राज्य-क्षेत्र से उत्पन्न हुआ हो या नहीं और सैन्य कार्यकलापों से जुड़ी निवेश, दलाली या अन्य वित्तीय सेवाओं और इस समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों या गुटों को हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, बिक्री, अंतरण विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग से संबंधित सहायता देने पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोक लगाने हेतु अपेक्षित उपाय करें और साथ ही इन राष्ट्रों से यह भी अपेक्षित है

कि इरीट्रिया से उनके राष्ट्रिकों द्वारा ऐसे मदों, प्रशिक्षण तथा सहायता प्राप्त करने और उनके मस्तूल जलयान या वायुयान के प्रयोग करने पर रोक लगाएं, चाहे इसकी उत्पत्ति इरीट्रिया के भूक्षेत्र से हो अथवा नहीं।

और जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प सं. 2111(2013) में अपेक्षित है कि सभी राष्ट्र संकल्प सं. 733(1992), 751(1992), 1356(2001), 1407(2002), 1425(2002), 1474(2003), 1844(2008), 1907(2009), 1972(2011), 2002(2011), 2023(2011), 2036(2012), 2060(2012), 2093(2013), 2111(2013), 2124(2013), 2125(2013), 2142(2014), 2182(2014) और 2244(2015) में सन्निहित उपाबंधों को पूर्णतः क्रियान्वयन करें;

और केन्द्रीय सरकार सोमालिया तथा इरीट्रिया की एकता, संप्रभुत्ता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के तहत अंगीकृत उक्त संयुक्त राष्ट्र संकल्पों को लागू करने हेतु संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947(1947 का 43) के अधीन आदेश जारी करना और समीचीन आवश्यक समझती है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संकल्पों को लागू करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात;-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सोमालिया और इरीट्रिया से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों को लागू करने के बाबत आदेश 2016 कहा जा सकेगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(2) **परिभाषाएं:-** (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "संकल्प" से 23 जनवरी, 1992 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प सं. 733(1992) अभिप्रेत है और इसमें संकल्प सं. 751(1992), 1356(2001), 1407(2002), 1425(2002), 1474(2003), 1844(2008), 1907(2009), 1972(2011), 2002(2011), 2023(2011), 2036(2012), 2060(2012), 2093(2013), 2111(2013), 2124(2013), 2125(2013), 2142(2014), 2182(2014) और 2244(2015) सम्मिलित हैं।

(ख) "अनुसूची" इस आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है जो सुरक्षा परिषद द्वारा उनके उक्त संकल्पों में निर्धारण के अवधारण पर तैयार की गई है।

(ग) "समिति" से संकल्प सं. 751(1992) के अनुच्छेद 11 के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति अभिप्रेत है।

(2) इस आदेश में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है और इस समय प्रवृत्त तत्समय भी में यह विधि परिभाषित है, जो वही अर्थ होंगे ऐसे विधियों में दिया गया है।

(3) व्यक्तियों तथा असितत्वों से संबंधित आदेश का लागूः- इस आदेश के उपाबंध अनुबंध 5 में सूचीबद्ध व्यक्तियों तथा असितत्वों तक लागू हैं और इनमें समय-समय पर इस समिति द्वारा यथानामित तथा उनकी वेबसाइट http://www.un.org/sc/Committees/751/pdf/751_1907.pdf. में विनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा असितत्वों भी शामिल होंगे।

(4) सोमालिया से संबंधित संकल्पों को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्तियां:- केन्द्रीय सरकार के पास निम्नलिखित से संबंधित उपाय करने हेतु सभी शक्तियां होंगी,

I. आयुधों पर रोकः

(क) जब तक कि परिषद अन्यथा निर्णय न ले सोमालिया को सभी प्रकार के आयुधों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्तियों पर साधारण तथा संपूर्ण हथियार आयुधों व्यवस्था को लागू करना;

(ख) समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा गुटों को हथियारों, सैन्य उपकरणों, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता जो सैन्य कार्यकलापों से संबंधित हों अथवा हथियारों की आपूर्ति से संबंधित हों, की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति पर रोक लगाना;

(ग) इस समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या गुटों को हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, बिक्री, अंतरण विनिर्माण, रख-रखाव अथवा प्रयोग से संबंधित सहायता देने पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोक लगाना और साथ ही तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता, जो सैन्य कार्यकलापों से संबंधित हो अथवा इन मदों का प्रावधान, विनिर्माण, रख-रखाव अथवा प्रयोग से संबंधित हो, चाहे वह उनके भू-क्षेत्र से उत्पन्न हुआ हो या नहीं और सैन्य कार्यकलापों से जुड़ी निवेश, दलाली या अन्य वित्तीय सेवाओं पर रोक लगाना।

परंतु उपरोक्त आयुध रोक पूर्वोक्त उपाबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा अर्थातः-

(i) ऐसे मदों की आपूर्ति जिन्हें समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर अग्रिम रूप से अनुमोदित किया गया हो {संदर्भ संकल्प सं. 2111(2013) का पैरा 7}

(ii) ऐसे आयुधों अथवा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति अथवा सलाह, सहायता अथवा प्रशिक्षण के प्रावधान जिसका आशय मुख्य रूप से सोमालिया की संघीय सरकार के सुरक्षा बलों के विकास के लिए हो, सोमालिया लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो, सिवाए ऐसे मदों की आपूर्ति को छोड़कर जिसका उल्लेख संकल्प सं. 2111(2013) के अनुबंध में हो {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 10(क) के संदर्भ में}

(iii) ऐसे हथियारों अथवा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति अथवा सहायता का उपाबंध जिसका आशय मुख्यतः निम्नलिखित द्वारा समर्थन अथवा उपयोग के लिए हो-

(क) सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में संयुक्त राष्ट्र कार्मिक (यूएनएसओएम) {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 10(क) के संदर्भ में}

(ख) सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (एएमआईएसओएम) {संकल्प सं. 2111(2013) के अनुच्छेद 10(ख) के संदर्भ में}

(ग) एएमआईएसओएम के रणनीतिक भागीदारी जो मुख्य रूप से 5 जनवरी, 2012 की अफ्रीकी संघ रणनीतिक अभिकल्पना (अथवा प्रवर्ती एयू रणनीतिक अभिकल्पनाएं) और एएमआईएसओएम के सहयोग तथा समन्वयन में कार्य कर रहे हैं। {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 10(ग) के संदर्भ में}

(घ) सोमालिया में यूरोपीय संघ प्रशिक्षण मिशन (ईयूटीएम); {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 10(घ) के संदर्भ में}

(iv) सोमालिया की संघीय सरकार के अनुरोध पर सोमालिया के समुद्री तट पर जलदस्युता एवं सशस्त्र डकैती जैसे कृत्यों का दमन करने के लिए किए जाने वाले उपायों के प्रयोजनार्थ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनों के प्रयोग हेतु हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, जिसके लिए उसने महासचिव की नियुक्ति के बाबत अधिसूचना जारी की है और व्यवस्था दी है कि किए गए कोई भी उपाय प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय तथा मानवाधिकार कानून के अनुरूप होंगे {संकल्प सं. 2111(2013) के अनुच्छेद 10(ग) के संदर्भ में}

(v) संयुक्त राष्ट्र कर्मियों, मीडिया तथा मानवीय एवं विकास कामगारों तथा इनसे संबद्ध कर्मियों द्वारा केवल उनके व्यक्तिगत प्रयोग हेतु सोमालिया को अस्थायी तौर पर निर्यात किए जाने वाले सुरक्षात्मक वस्त्रों की आपूर्ति जिनमें फ्लैक जैकेट तथा सैन्य हेलमेट शामिल हैं {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 10(च) के संदर्भ में}

(vi) गैर घातक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जो मुख्यतः मानवीय अथवा सुरक्षात्मक उपयोग के लिए हो, जिसे केवल सूचना हेतु भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीय संगठन द्वारा पांच दिन पहले अधिसूचित किया गया हो {संकल्प सं. 2111(2013) के अनुच्छेद 10(छ) के संदर्भ में}

(vii) सदस्य राष्ट्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय संगठनों द्वारा हथियारों अथवा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति और तकनीकी सहायता अथवा प्रशिक्षण जिसका उद्देश्य मुख्यतः भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीय संगठन द्वारा ऐसे किसी सहायता की अधिसूचना प्राप्त होने की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर समिति द्वारा कोई नकारात्मक निर्णय न लिया जाने की स्थिति में सोमाली सुरक्षा क्षेत्र संस्थाओं के विकास में मदद करने के प्रयोजनार्थ होंगे{संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 11(क) के संदर्भ में}

II. यात्रा पाबंदी

समिति द्वारा नामित व्यक्तियों को भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने अथवा राज्यक्षेत्र से होकर गुजरने पर रोक लगाना बशर्ते कि इस पैरा में कोई भी बात भारत सरकार को उसके अपने राष्ट्रिकों को यहां प्रवेश करने से मनाही नहीं करेगीः

परंतु कि यात्रा पाबंदी से संबंधित उपर्युक्त उपाबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे अर्थातः-

(i) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर यह अवधारण करे कि इस प्रकार की यात्रा मानवीय जरूरतों के आधार पर औचित्यपूर्ण है, जिनमें धार्मिक बाध्यता भी शामिल है {संकल्प सं. 1844(2008) के अनुच्छेद 2(क) के संदर्भ में}

(ii) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर यह अवधारण करे कि इस प्रकार की छूट से अन्यथा सोमालिया में शांति एवं राष्ट्रीय एकता तथा उस क्षेत्र में स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी {संकल्प सं. 1844(2008) के पैरा 2(ख) के संदर्भ में}

III. आस्ति को जब्त करनाः

(क) भारत में स्थित उन सभी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों को जब्त करना जो समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा असितत्वों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित हों अथवा इन पर ऐसे व्यक्तियों अथवा असितत्वों का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो जो उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य कर रहे हों अथवा उनके स्वामित्व अथवा नियंत्रित किसी असितत्वों के स्वामित्व अथवा नियंत्रित हो;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निधियां, वित्तीय आस्तियां अथवा आर्थिक संसाधनों पर भारतीय राष्ट्रिकों अथवा भारत के भूक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति अथवा असितत्वों द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर रोक लगाए जाएं जो समिति द्वारा नामित व्यष्टिकों अथवा असितत्वों के फायदा होः

परंतु परिसंपत्तियों को जब्त किए जाने से संबंधित उपर्युक्त उपाबंध निम्नलिखित निधियों तथा अन्य आर्थिक उपायों पर लागू नहीं होंगे जो भारत सरकार द्वारा अवधारित नहीं किए गए हों अर्थातः-

(i) मूलभूत खर्च जिनमें खाद्य पदार्थ, किराए अथवा गिरवी रखे जाने, औषधि तथा चिकित्सीय उपचार, कर, बीमा प्रीमियम और जनसुविधा प्रभार के भुगतान हेतु अथवा विशेष तौर पर औचित्यपूर्ण पेशेवर शुल्क के भुगतान हेतु तथा कानूनी सेवाओं अथवा शुल्क अथवा सेवा प्रभार का राष्ट्रीय विधियों के अनुसार इनसे संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु, जब्त की गई निधियों अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों की नियमित रख-रखाव हेतु यह आवश्यक होगा जो भारत सरकार द्वारा समिति को जारी उसके इस आशय की अधिसूचना के पश्चात कि वह ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों के लिए प्राधिकृत किए जाने ऐसी निधियों को सुलभ कराने के लिए प्राधिकृत किए गए हों और समिति द्वारा ऐसी अधिसूचना की तिथि से तीन कार्यदिवसों के भीतर किसी नकारात्मक निर्णय न लिए जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा {संकल्प सं. 1844(2008) के पैरा 4(क) के संदर्भ में}

(ii) समिति द्वारा यथाअनुमोदित असाधारण व्यय हेतु अपेक्षित होगा {संकल्प सं. 1844(2008) के पैरा 4(ख) के संदर्भ में}

(iii) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचक धारणाधिकार अथवा निर्णय के अध्यधीन होगा जिस मामले में कोषों, अन्य वित्तीय आस्ति तथा आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस बात की संतुष्टि के लिए होगी कि यह धारणाधिकार अथवा निर्णय जिसे संकल्प सं. 1844(2008) (20 नवंबर, 2008), जो किसी व्यक्ति अथवा अभिनिर्धारित गुट के फायदा नहीं है और भारत सरकार द्वारा समिति को इस बारे में अधिसूचित किया गया है, को अपनाए जाने की तारीख से पूर्व निष्पन्न किया गया था {संकल्प सं. 1844(2008) के पैरा 4(ग) के संदर्भ में}

(iv) उन संविदाओं, करारों अथवा दायित्वों के तहत ऐसे लेखाओं अथवा भुगतानों पर बकाया ब्याज अथवा अन्य आय जो इस संकल्प के उपाबंध के अध्यधीन सृजित लेखाओं की तारीख से पूर्व उत्पन्न हुए थे, बशर्ते कोई भी ऐसा ब्याज, अन्य आय तथा भुगतान इन उपाबंधों के अध्यधीन बने रहेंगे तथा निष्क्रिय रहेंगे। {संकल्प सं. 1844(2008) के पैरा 5 के संदर्भ में}

IV. चारकोल पर पाबंदी

सोमालिया से चारकोल के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आयात पर रोक, चाहे यह चारकोल सोमालिया से प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं।

(5) इरीट्रिया से संबंधित संकल्पों को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्तियां:- केन्द्रीय सरकार के पास निम्नलिखित से संबंधित उपाय करने हेतु सभी शक्तियां होंगी,

I. आयुधों पर पाबंदीः

(क) जब तक कि परिषद अन्यथा निर्णय न ले इरीट्रिया को सभी प्रकार के हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्तियों पर सामान्य तथा संपूर्ण हथियार प्रतिबंध व्यवस्था को लागू करना;

(ख) समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा गुटों को हथियारों, सैन्य उपकरणों, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता जो सैन्य कार्यकलापों से संबंधित हों अथवा हथियारों की आपूर्ति से संबंधित हों, की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति पर रोक लगाना;

(ग) इस समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या गुटों को हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, बिक्री, अंतरण विनिर्माण, रख-रखाव अथवा प्रयोग से संबंधित सहायता देने पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोक लगाना और साथ ही तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता, जो सैन्य कार्यकलापों से संबंधित हो अथवा इन मदों का उपाबंध, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग से संबंधित हो, चाहे वह उनके भू-क्षेत्र से उत्पन्न हुआ हो या नहीं और सैन्य कार्यकलापों से जुड़ी निवेश, दलाली या अन्य वित्तीय सेवाओं पर रोक लगाना।

परंतु उपरोक्त आयुधों की पाबंदी संबंधी उपाबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा अर्थातः-

(i) गैर घातक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जो मुख्यतः मानवीय अथवा सुरक्षात्मक उपयोग के लिए हो, {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 12 के संदर्भ में}

(ii) संयुक्त राष्ट्र कर्मियों, मीडिया तथा मानवीय एवं विकास कार्यकारों तथा इनसे संबद्ध कर्मियों द्वारा केवल उनके व्यक्तिगत उपयोग हेतु इरीट्रिया को अस्थायी तौर पर निर्यात किए जाने वाले सुरक्षात्मक वस्त्रों की आपूर्ति जिनमें फ्लैक जैकेट तथा सैन्य हेलमेट शामिल हैं {संकल्प सं. 2111(2013) के पैरा 13 के संदर्भ में}

II. यात्रा प्रतिबंध

समिति द्वारा अभिहित व्यष्टिकों को भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने अथवा भूक्षेत्र से होकर गुजरने पर रोक लगाना बशर्ते कि इस पैरा में कोई भी बात भारत सरकार को उसके अपने नागरिकों को यहां प्रवेश करने से इंकार नहीं करेगीः

परंतु यात्रा पाबंदी से संबंधित उपर्युक्त उपाबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे अर्थातः-

(i) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर यह अवधारित करे कि इस प्रकार की यात्रा मानवीय जरूरतों के आधार पर औचित्यपूर्ण है, जिनमें धार्मिक बाध्यता भी शामिल है {संकल्प सं. 1907(2009) के अनुच्छेद 11 के संदर्भ में}

(ii) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर यह निर्धारित करे कि इस प्रकार की छूट से अन्यथा सोमालिया में शांति एवं राष्ट्रीय एकता तथा उस क्षेत्र में स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी {संकल्प सं. 1907(2009) के पैरा 11(ख) के संदर्भ में}

III. आस्तियों को जब्त करनाः

(क) भारत में अवस्थित उन सभी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों को जब्त करना जो समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा असितत्वों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित हों अथवा इन पर ऐसे व्यक्तियों अथवा असितत्वों का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो जो उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य कर रहे हों अथवा उनके स्वामित्व अथवा नियंत्रित किसी असितत्वों के स्वामित्व अथवा नियंत्रित हो;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निधियों, वित्तीय असितत्वों अथवा आर्थिक संसाधनों पर भारतीय राष्ट्रिकों अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति अथवा असितत्वों द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर रोक लगाए जाएं जो समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा गुटों के लाभार्थ होः

परंतु असितत्वों को जब्त किए जाने से संबंधित उपर्युक्त उपाबंध निम्नलिखित निधियों तथा अन्य आर्थिक उपायों पर लागू नहीं होंगे जो भारत सरकार द्वारा अवधारित नहीं किए गए हों अर्थातः-

(i) मूलभूत व्यय जिनमें खाद्य पदार्थ, किराए अथवा गिरवी रखे जाने, औषधि तथा चिकित्सीय उपचार, कर, बीमा प्रीमियम और जनसुविधा प्रभार के भुगतान हेतु अथवा विशेष तौर पर औचित्यपूर्ण वृत्तिक फीस के भुगतान हेतु तथा विधिक सेवाओं अथवा फीस अथवा सेवा प्रभार का राष्ट्रीय विधियों के अनुसार इनसे संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु, जब्त की गई निधियों अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों की नियमित अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक होगा जो भारत सरकार द्वारा समिति को जारी उसके इस आशय की अधिसूचना के पश्चात कि वह ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों के लिए प्राधिकृत किए जाने ऐसी निधियों को सुलभ कराने के लिए प्राधिकृत किए गए हों और समिति द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर किसी नकारात्मक निर्णय न लिए जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा {संकल्प सं. 1907(2009) के पैरा 14(क) के संदर्भ में}

(ii) समिति द्वारा यथाअनुमोदित असाधारण व्यय हेतु अपेक्षित होगा {संकल्प सं. . 1907(2009) के पैरा 14(ख) के संदर्भ में}

(iii) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचन धारणाधिकार अथवा निर्णय के अध्यधीन होगा जिस मामले में निधियों, अन्य वित्तीय आस्ति तथा आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस बात की समाधान के लिए होगी कि यह धारणाधिकार अथवा निर्णय जिसे संकल्प सं. 1907(2009) (23 दिसंबर, 2009), जो किसी व्यक्ति अथवा अभिनिर्धारित असितत्वों के लाभार्थ नहीं है और भारत सरकार द्वारा समिति को इस बारे में अधिसूचित किया गया है, को अपनाए जाने की तारीख से पूर्व निष्पन्न किया गया था {संकल्प सं. 1907(2009) के पैरा 4(ग) के संदर्भ में}

अनुसूची

[पैरा 2 (ख) देखें]

उपाबंध 1

संकल्प 733 (1992)

23 जनवरी 1992

सुरक्षा परिषद,

सोमालिया द्वारा वहां की परिस्थिति पर विचार करने से संबंधित सुरक्षा परिषद हेतु अनुरोध पर विचार करते हुए, सोमालिया में व्याप्त परिस्थिति के बारे में महासचिव की रिपोर्ट को सुनते हुए और उनके द्वारा मानवीयता के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की निन्दा करते हुए,

सोमालिया में तेजी से बिगड़ते हालात पर और उस देश में छिड़ी लड़ाई के परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर जान-माल के व्यापक पैमाने पर नुकसान के प्रति गंभीरता से सचेत होते हुए और उस क्षेत्र में स्थिरता तथा शांति पर इसके प्रभाव के प्रति जागरूक रहते हुए,

इस बात पर चिंतित होते हुए कि ऐसी परिस्थिति जारी रहने पर, जैसा कि महासचिव की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है,

अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन अपनी मुख्य उत्तरदायित्व का स्मरण करते हुए,

साथ ही इस चार्टर के अध्याय 8 के उपाबंधों का भी स्मरण करते हुए,

उन अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के प्रति सराहना व्यक्त करते हुए जिन्होंने इस संघर्ष से प्रभावित आबादी की मदद की है और इस बात पर खेद प्रकट करते हुए कि इन संगठनों के कर्मियों ने मानवीय कार्य करते हुए अपनी जिन्दगी दाव पर लगा दी है,

इस्लामिक सम्मेलन संगठन के अध्यक्ष द्वारा 16 दिसंबर, 1991 को, अफ्रीकी यूनिटी संगठन के महासचिव द्वारा 18 दिसंबर, 1991 को और अरब राष्ट्र लीग द्वारा 5 जनवरी, 1992 को पक्षकारों को संबोधित अपीलों पर संबोधित करते हुए,

1. सोमालिया की परिस्थिति के बारे में महासचिव की रिपोर्ट पर ध्यान करते हुए उस देश में व्याप्त स्थिति के प्रति अपनी चिंताएं व्यक्त करता है;

2. अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के साथ मिलकर सोमालिया के सभी हिस्सों में प्रभावित लोगों को संयुक्त राष्ट्र तथा इसके विशिष्ट अभिकरणों द्वारा मानवीय सहायता बढाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ महासचिव से अनुरोध करता है और इस दिशा में इस सहायता की कारगर सुपुर्दगी की निगरानी करने के लिए एक समन्वयक नियुक्त करने का अनुरोध करता है;

3. साथ ही अफ्रीकी यूनिटी तथा अरब राष्ट्र लीग के महासचिव के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध करता है कि वह इस विवाद में शामिल सभी पक्षकारों से तत्काल संपर्क करे, इस शत्रुता को समाप्त करने के प्रति उनसे वचनबद्धता प्राप्त करे ताकि मानवीय सहायता संवितरित की जा सके, युद्धविराम तथा इसके अनुपालन की व्यवस्था की जा सके और इस प्रक्रिया में सोमालिया में इस विवाद के राजनैतिक समाधान में सहायता दी जाए;

4. इस विवाद में शामिल सभी पक्षकारों से दृढता से आग्रह करता है कि वे तत्काल इस शत्रुता को समाप्त करे और युद्धविराम पर सहमत हो तथा सोमालिया में मेल-मिलाप तथा राजनैतिक समाधान की प्रक्रिया को बढ़ावा दे;

5. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के तहत निर्णय लेता है कि सभी राष्ट्र सोमालिया में शांति एवं स्थिरता लाने के प्रयोजनार्थ जब तक परिषद अन्यथा निर्णय न ले, तत्काल सोमालिया को हथियारों तथा सैन्य उपकरणों से संबंधित सभी प्रकार के आपूर्तियों पर साधारण एवं संपूर्ण प्रतिबंध लागू करे;

6. सभी राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वे ऐसी किसी कार्रवाई से परहेज करे जिससे तनाव बढे और सोमालिया में चल रहे युद्ध का कोई शांतिपूर्ण एवं सुविचारित परिणाम बाधित हो अथवा उसमें विलंब हो, जो सभी समोली वासियों को एक शांतिपूर्ण माहौल में अपना भविष्य निर्माण करने की अनुमति प्रदान करेगा;

7. इस दिशा में सभी पक्षकारों से आह्वान करता है कि वे इसमें सहयोग करें और संयुक्त राष्ट्र, इसकी विशेष अभिकरणों तथा अन्य मानवीय संगठनों द्वारा सभी जरूरतमंदों को एक समन्वयक के पर्यवेक्षण में मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाएं;

8. सभी पक्षकारों से आग्रह करता है कि वे मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु भेजे गए कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके कार्यों में उन्हें सहायता करने और सिविलियन आबादी की सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम तथा सिद्धांतों के प्रति पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करें;

9. सभी राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आह्वान करता है कि वे सोमालिया में रहने वाले लोगों को मानवीय सहायता दिए जाने संबंधी प्रयासों में अपना योगदान करें;

10. महासचिव से अनुरोध करता है कि वह यथाशीघ्र इस मामले पर सुरक्षा परिषद पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

11. एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढे जाने तक इस मामले पर विचार करते रहने का निर्णय लेता है।

उपाबंध 2

संकल्प सं. 1844 (2008)

सुरक्षा परिषद द्वारा 20 नवंबर 2008 को अपनी 6019वीं बैठक में स्वीकृत

सुरक्षा परिषद,

सोमालिया में व्याप्त परिस्थिति से संबंधित पूर्व संकल्पों, विशेषतः संकल्प सं. 733 (1992), संकल्प सं. 751 (1992), संकल्प सं. 1356 (2001), संकल्प सं. 1425 (2002), संकल्प सं. 1519 (2003), संकल्प सं. 1676 (2006), संकल्प सं. 1725 (2006), संकल्प सं. 1744 (2007), संकल्प सं. 1772 (2007), संकल्प सं. 1801 (2008), संकल्प सं. 1811 (2008), संकल्प सं. 1814 (2008) और प्रतिबंधों से संबंधित आम मुद्दों पर इसके अध्यक्ष के वक्तव्यों विशेषतः 13 जुलाई 2006 (एस/पी आर एस टी/2006/31), 22 दिसंबर, 2006 (एस/पी आर एस टी/2006/59), 30 अप्रैल 2007 (एस/पी आर एस टी/2007/13) और 14 जून 2007 (एस/पी आर एस टी/2007/19) के वक्तव्यों का स्मरण करते हुए और साथ ही संकल्प सं. 1730 (2006) का भी स्मरण करते हुए,

सोमालिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनैतिक स्वतंत्रता और एकता की पुनः अभिपुष्टि करते हुए,

संपूर्ण सोमालिया में स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदान करने तथा बनाए रखने के महत्व पर बल देते हुए,

सोमालिया में सभी हिंसात्मक कृत्यों और सोमालिया के भीतर हिंसा के लिए उकसाए जाने की भर्त्सना करते हुए और एक शांतिपूर्ण राजनैतिक प्रक्रिया को रोकने अथवा इसे बाधित करने की आशायित से किए गए सभी कृत्यों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए,

सोमालिया के तट पर जहाजों पर जलदस्युता तथा सशस्त्र डकैती से जुड़े कृत्यों में हाल में हुई वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और इस बात पर गौर करते हुए कि इस प्रकार के जलदस्युता से सशस्त्र गुटों द्वारा वित्तीय प्रतिबंध के उल्लंघन में मदद की जा सकती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प सं. 751 (1992) के अनुसरण में गठित समिति (जिसे इसके बाद "समिति" कहा गया है) के अध्यक्ष द्वारा 9 अक्तूबर 2008 के वक्तव्य में उल्लेख किया गया है,

संकल्प सं. 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) तथा 1772 (2007) द्वारा यथावर्णित एवं संशोधित संकल्प सं. 733 (1992) के अनुच्छेद 5 द्वारा लगाए गए शस्त्र प्रतिबंध के तहत सोमालिया की शांति एवं सुरक्षा में निरंतर योगदान पर बल देते हुए और अपनी इस मांग को पुनः दोहराते हुए कि सभी सदस्य राष्ट्र, विशेषतः उस क्षेत्र में स्थित राष्ट्र इन संकल्पों की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करें,

किसी शांतिपूर्ण राजनैतिक प्रक्रिया को रोकने अथवा बाधित करने अथवा ट्रांजिश्नल फ्रेडरल इंस्टीट्यूशन्स ऑफ सोमालिया अथवा सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन को बल प्रयोग की धमकी देने वाले अथवा सोमालिया में अथवा उस क्षेत्र की स्थिरता के प्रति खतरा उत्पन्न करने वाले गुटों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु अपनी मंशा का स्मरण करते हुए,

संकल्प सं. 1814 (2008) के पैरा 7 में उल्लिखित सोमालिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए हथियार प्रतिबंध की कारगरता को सुदृढ करने और इस हथियार पर प्रतिबंध को प्रभावित करने वाले तथा ऐसे कृत्य में उनका समर्थन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने की मंशा का पुनः स्मरण करते हुए,

संकल्प सं. 1814 (2008) के पैरा 6 तथा पैरा 7 में उल्लिखित समिति को किए गए उस अनुरोध का भी स्मरण करते हुए कि ऐसे व्यक्तियों अथवा असितत्वों के विरूद्ध किए जाने वाले -विनिर्दिष्ट लक्षित उपायों की सिफारिश करे,

इस समिति के उपाध्यक्ष द्वारा 1 अगस्त 2008 को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र पर ध्यान करते हुए,

यह अवधारित करते हुए कि सोमालिया में व्याप्त परिस्थिति से उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा बना हुआ है,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय 7 के अधीन कार्रवाई करते हुए,

1. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित 8 के अनुसरण में समिति द्वारा नामित व्यक्तियों को अपने भूक्षेत्रों में अथवा से होकर गुजरने पर रोक लगाने हेतु अपेक्षित उपाय करेंगे, बशर्ते इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी शर्त उस राष्ट्र को अपने राष्ट्रिकों को उनके राज्यक्षेत्रों में प्रवेश करने से मना करने के लिए बाध्य नहीं करेगी;

2. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 1 के अधीन किए गए उपाय निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगेः

(क) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर यह अवधारणा लेती है कि इस प्रकार की यात्रा मानवीय जरूरतों के आधार पर औचित्यपूर्ण है, जिसमें धार्मिक यात्रा भी शामिल है; अथवा

(ख) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर यह अवधारणा लेती है कि इस प्रकार की छूट से अन्यथा सोमालिया में शांति एवं राष्ट्रीय एकता तथा उस क्षेत्र में स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी;

3. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधनों को अविलंब जब्त करेंगे, जिन पर निम्नलिखित पैरा 8 के अनुसरण में समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा असितत्वों द्वारा, अथवा उनके इशारे पर उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा असितत्वों, अथवा समिति द्वारा यथानामित, उनके स्वामित्व वाले गुटों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित हों और यह भी निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके भूक्षेत्र कमें किसी व्यक्ति अथवा गुटों द्वारा ऐसे व्यक्तियों अथवा गुटों के लाभार्थ उपलब्ध कराए जा रहे कोषों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाई जाएं;

4. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 3 द्वारा किए गए उपाय ऐसे निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अथवा आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होंगे जो संगत सदस्य राष्ट्रों द्वारा अवधारित किए गए हों;

(क) मूलभूत खर्च जिनमें खाद्य पदार्थ, किराए अथवा गिरवी रखे जाने, औषधि तथा चिकित्सीय उपचार, कर, बीमा प्रीमियम और सार्वजनिक प्रभार के भुगतान हेतु अथवा विशेष तौर पर औचित्यपूर्ण वृत्तिक फीस के भुगतान हेतु तथा विधिक सेवाओं अथवा फीस अथवा सेवा प्रभार का राष्ट्रीय विधियों के अनुसार इनसे संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु, जब्त की गई निधियों अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों की नियमित रख-रखाव हेतु यह आवश्यक होगा जो भारत सरकार द्वारा समिति को जारी उसके इस आशय की अधिसूचना के पश्चात कि वह ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों के लिए प्राधिकृत किए जाने ऐसी निधियों को सुलभ कराने के लिए प्राधिकृत किए गए हों और समिति द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर किसी नकारात्मक निर्णय न लिए जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा;

(ख) असाधारण व्यय के लिए आवश्यक होगा, बशर्ते कि इस प्रकार के निर्धारण के बारे में संगत राष्ट्र अथवा सदस्य राष्ट्रों द्वारा अधिसूचित किए गए हों और समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो; अथवा

(ग) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचक धारणाधिकार अथवा निर्णय के अध्यधीन होगा जिस मामले में निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस बात की समाधान के लिए होगी कि यह धारणाधिकार अथवा निर्णय जिसे संकल्प सं. 1844(2008) (20 नवंबर, 2008), जो किसी व्यक्ति अथवा अभिनिर्धारित गुट के लाभार्थ नहीं है और भारत सरकार द्वारा समिति को इस बारे में अधिसूचित किया गया है, को अपनाए जाने की तारीख से पूर्व निष्पन्न किया गया था;

5. यह निर्णय लेता है कि सदस्य राष्ट्र उपर्युक्त पैरा 3 के उपाबंधों के अनुसरण में निष्क्रिय किए गए लेखाओं में ऐसे लेखाओं अथवा भुगतान पर बकाया ब्याज अथवा अन्य आय जोड़े जाने की अनुज्ञा दे सकते हैं जो उस तिथि से पूर्व निष्पन्न संविदाओं, करारों अथवा दायित्वों के तहत हों, जब यह लेखे इस सकंल्प के उपाबंधों अध्यधीन शामिल हुए, बशर्ते कि इस प्रकार के ब्याज, अन्य आय तथा अर्जन इन उपाबंधों के अध्यधीन बने रहे तथा उन्हें निष्क्रिय किया जाए;

6. संकल्प सं. 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) और 1772 (2007) द्वारा यथावर्णित तथा संशोधित संकल्प संख्या 733 (1992) द्वारा सोमालिया के विरूद्ध लगाए गए साधारण तथा संपूर्ण हथियार अधिरोपित की पुनः अभिपुष्टि करता है;

7. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित पैरा 8 के अनुसरण में इस समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या असितत्वों को शस्त्रों तथा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, बिक्री, अंतरण विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग से संबंधित सहायता देने पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोक लगाना और साथ ही तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता, जो सैन्य कार्यकलापों से संबंधित हो अथवा इन मदों का उपाबंध, विनिर्माण, रख-रखाव अथवा उपयोग से संबंधित हो, चाहे वह उनके राज्यक्षेत्र से उत्पन्न हुआ हो या नहीं और सैन्य कार्यकलापों से जुड़ी निवेश, दलाली या अन्य वित्तीय सेवाओं पर रोक लगाना;

8. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 पैरा नामित व्यस्तिकों पर लागू होंगे और यह कि उपाबंध समिति द्वारा 3 तथा 7 असितत्वों पर लागू होंगे;

(क) जैसे कि सोमालिया ने शांति, सुरक्षा अथवा स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले कृत्यों में संलिप्त होना अथवा समर्थन देना, जिनमें ऐसे कृत्य भी शामिल हैं जो 18 अगस्त, 2008 के जिबूती करार अथवा राजनैतिक प्रक्रिया अथवा टी एफ आई अथवा ए एम आई एस ओ एम के लिए खतरा हो;

(ख) जैसा कि उपर्युक्त पैरा 6 में पुनः अभिपुष्ट साधारण और संपूर्ण आयुधों प्रतिरोध का उल्लंघन करने वाले कृत्य;

(ग) जैसा कि सोमालिया में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बाधित करने वाली कृत्य अथवा सोमालिया में मानवीय सहायता सुलभ कराने अथवा संवितरित करने में बाधा पहुंचाना;

9. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 में उल्लिखित उपाय ऐसे व्यक्तियों अथवा गुटों पर लागू नहीं होंगे, यदि तथा ऐसे समय पर जब समिति द्वारा अभिहित व्यष्टिकों तथा गुटों की सूची से उन्हें हटा दिया जाए;

10. समिति द्वारा अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समितिओं और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के साथ समन्वयन के महत्व को रेखांकित करता है;

11. यह निर्णय लेता है कि निम्नलिखित कार्यों को शामिल करने के लिए संकल्प सं. 751 (1992) में यथानिर्धारित अनुसार समिति के अधिदेश का और विस्तार किया जाए:

(क) संकल्प सं. 1519 (2003) के अनुसरण में गठित अनुवीक्षण समूह के समर्थन से अनुवीक्षण करना, उपर्युक्त पैरा 6 में अभिपुष्ट साधारण तथा संपूर्ण हथियार प्रतिबंध के अलावा उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 3 और 7 के तहत किए गए उपायों को लागू करना;

(ख) सभी सदस्य राष्ट्रों, विशेषकर उस क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों से उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 में किए गए उपायों को कारगर ढंग से लागू करने हेतु उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना और इस संबंध में ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त करना, जो वह उपयुक्त समझे;

(ग) उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7, संकल्प सं. 733 (1992) के पैरा 5 और संकल्प सं. 1425 (2002) के पैरा 1 और 2 के अधिरोपित किए गए उपायों के कथित उल्लंघनों से संबंधित सूचनाओं की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो समुचित कार्रवाई करना;

(घ) नीचे पैरा 12 में के अनुसरण में सदस्य राष्ट्रों के अनुरोध पर उपर्युक्त 3 और 8 के अनुसरण में व्यष्टिकों तथा असितत्वों का अभिनिर्धारण करना;

(ड.) उपर्युक्त पैरा 2 तथा 4 में उपवर्णित छूट के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करके निर्णय लेना;

(च) उपर्युक्त पैरा 3 और 8 के अनुसरण में समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों तथा असितत्वों की सूची की नियमित रूप से पुनर्विलोकन करना, जिसका उद्देश्य इस सूची को यथासंभव अद्यतन एवं सटीक रखना है और इस बात की अभिपुष्टि करना कि यह सूचीबद्धन समुचित है और सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि जब कभी भी ऐसी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, अतिरिक्त सूचना के रूप में उपलब्ध कराना;

(छ) सुरक्षा परिषद को इस संकल्प के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य के संबंध में कम से कम 120 दिन पहले रिपोर्ट करना, जिसमें उनकी टिप्पणियां तथा सिफारिशें शामिल हों, विशेषतः उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 के अनुसरण में किए गए उपायों को सुदृढ तथा कारगार बनाने से संबंधित टिप्पणियां तथा सिफारिशें शामिल हों;

(ज) उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 3 और 7 के अनुसरण में किए गए उपायों का अनुपालन न किए जाने से संबंधित संभावित मामलों का पता लगाना और ऐसे प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई तय करना और उपर्युक्त पैरा 11(छ) के अनुसरण में परिषद की आवधिक रिपोर्टों में अध्यक्ष को यह अनुरोध करना कि वह इस मुद्दे पर समिति के कार्यों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(झ) इस संकल्प के तहत किए गए उपायों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन करना तथा जैसा अपेक्षित हो, इन दिशा-निर्देशों की सक्रिय पुनर्विलोकन करना;

सूचीबद्धन

12. सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे ऐसे व्यष्टिकों, नामों अथवा असितत्वों को शामिल करने के लिए समिति से आग्रह करे जो उपर्युक्त पैरा 8 में निर्धारित शर्तों को पूरा करे, और साथ ही इन व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले किसी गुट अथवा इन असितत्वों के निर्देश पर तथा उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तिय अथवा गुट शामिल होंगे;

13. यह निर्णय लेता है कि सूचीबद्धन हेतु समिति के समक्ष नाम प्रस्तावित करते समय सदस्य राष्ट्र द्वारा व्यष्टिकों तथा गुटों की सही पहचान करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु पर्याप्त पहचान संबंधी सूचना सहित इस मामले का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे और आगे

यह भी निर्णय लेता है कि ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के लिए सदस्य राष्ट्र इस मामले के उस हिस्से की पहचान करेंगे, जिन्हें सार्वजनिक रूप से जारी किया जा सके, जिनमें निम्नलिखित पैरा 14 में यथावर्णित सार तैयार करने हेतु समिति द्वारा उपयोग किया जाना अथवा सूचीबद्ध व्यक्ति अथवा गुट को सूचना प्रदान करने के प्रयोजनार्थ शामिल है और वे हिस्से जो इच्छुक राष्ट्रों के अनुरोध पर जारी किया जा सके;

14. सुसंगत नाम निर्धारण राष्ट्रों के समन्वयन से तथा निगरानी समूह की सहायता से समिति को निर्देश देता है कि इस सूची में नाम शामिल किए जाने के बाद सूचीबद्धन से संबंधित कारणों सहित इसे समिति की वेबसाईट पर सुलभ कराया जाए;

15. यह निर्णय लेता है कि सचिवालय व्यक्तियों तथा गुटों की सूची में नाम जोड़ने के एक सप्ताह के भीतर इसे प्रकाशित करने के बाद देश अथवा देशों के स्थायी मिशन को यह सूचित करता है जहां वह व्यक्ति समझा जाता है कि रह रहा है और ऐसे व्यक्तियों के मामले में जहां वह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो (उस सीमा तक जहां तक यह सूचना सार्वजनिक हो) और इस अधिसूचना के साथ इस मामले से संबंधित सार्वजनिक तौर पर जारी किए जाने योग्य हिस्से की प्रति, समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचीबद्धन हेतु कारणों से संबंधित जानकारी, इस नाम निर्धारण के प्रभावों का ब्यौरा, सूची से हटाए जाने हेतु अनुरोध से संबंधित समिति की प्रक्रियाएं और उपलब्ध छूटों से संबंधित उपाबंध संलग्न हो;

16. यह मांग करता है कि उपर्युक्त पैरा 15 में उल्लेख अनुसार अधिसूचना प्राप्त करने वाले सदस्य राष्ट्र उनके देशी विधियों एवं प्रथाओं के अनुसार सूचीबद्ध किए गए व्यक्तियों अथवा गुट के बारे में समयबद्ध तरीके से यथासंभव अधिसूचना अथवा सूचना जारी करे, जिसके साथ उपर्युक्त पैरा 15 में यथानिर्धारित सचिवालय द्वारा दी गई सूचनाएं शामिल हों;

17. उपर्युक्त पैरा 15 में उल्लेख अनुसार अधिसूचना प्राप्त करने वाले सदस्य राष्ट्रों को उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 में यथानिर्धारित उपायों को लागू करने के लिए किए गए उपायों के बारे में समिति को सूचित करने हेतु प्रोत्साहित करना;

सूची से नाम विलोप करना

18. संकल्प सं. 1730 (2006) के अनुसरण में सचिवालय के भीतर स्थापित मुख्य बिन्दु का स्वागत करता है जो मुख्य बिन्दु को सीधे तौर पर सूची से नाम हटाए जाने हेतु कोई याचिका प्रस्तुत करने संबंधी विकल्प के साथ सूचीबद्ध व्यष्टिकों, समूहों, उपक्रमों अथवा गुटों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है;

19. अभिनिर्धारित करने वाले राष्ट्रों और नागरिकता एवं आवास वाले राष्ट्रों से आग्रह किया जाता है कि वे मुख्य बिन्दु के माध्यम से प्राप्त सूची से हटाए जाने संबंधी याचिकाओं पर संकल्प सं. 1730 (2006) के अनुबंध में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप समयबद्ध तरीके से समीक्षा करे और यह उपदर्शित करे कि क्या वे इस अनुरोध का समर्थन करते हैं अथवा इसका विरोध करते हैं ताकि समिति इसकी पुनर्विलोकन कर सके;

20. समिति को निदेश दिया जाता है कि वह दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन व्यक्तियों के नामों को समिति की सूची से हटाने हेतु अनुरोधों पर विचार करें जो इस संकल्प के अनुसरण में मानदंडों को पूरा नहीं करते;

21. यह निर्णय लेता है कि सचिवालय व्यक्तियों तथा गुटों की सूची में नाम जोड़ने के एक सप्ताह के भीतर इसे प्रकाशित करने के बाद देश अथवा देशों के स्थायी मिशन को यह सूचित करता है जहां वह व्यष्टिक समझा जाता है कि रह रहा है और ऐसे व्यष्टिक के मामले में जहां वह व्यक्ति उस देश का राष्ट्रिक हो (उस सीमा तक जहां तक यह सूचना सार्वजनिक हो) और यह मांग करता है कि इस प्रकार की अधिसूचना प्राप्त करने वाले राष्ट्र अपने देशी विधियों और प्रक्रियाओं के अनुसार समयबद्ध तरीके से नाम सूची से हटाए जाने के बारे में संबंधित व्यक्तियों अथवा गुटों को अधिसूचित अथवा सूचना देने के लिए उपाय करे;

22. समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि व्यष्टिकों तथा असितत्वों को समिति के पदनामितों की सूची में शामिल करने के लिए और उन्हेंक हटाने के साथ-साथ मानवीय छूट प्रदान करने के लिए निष्पक्ष तथा स्पष्ट प्रक्रियाएं विद्यमान हैं;

23. यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1811 (2008) के पैरा 3 में उपवर्जित अनुवीक्षण समूह की सहमति में नीचे उल्लिखित कार्य भी शामिल होंगे :

(क) उपर्युक्त पैरा 6 में पुष्टि किए गए साधारण तथा सम्पूर्ण हथियार के अतिरिक्त उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 में निहित उपायों के उल्लंघनों के संबंध में कोई सूचना प्रदान करके इस संकल्प के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने में इस समिति को सहायता करना;

(ख) उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित व्यष्टिकों और असितत्वों के संबंध में समिति के नाम-निर्देशन से संगत किसी सूचना को समिति के लिए इसके रिपोर्टों में शामिल करना;

(ग) उपर्युक्त पैरा 14 में निर्दिष्ट वर्णनात्मंक सारांशों के संकलन में समिति की सहायता करना;

24. इस संकल्पना तथा सभी संगत संकल्पनाओं द्वारा लगाए गए उपायों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों को उनके दायित्वों के संबंध में स्मरण कराता है;

25. यह निर्णय करता है कि सभी सदस्य राष्ट्र उपर्युक्त पैरा 1 से 7 के प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वयन के विचार से उठाए गए कदमों पर इस संकल्प को अंगीकार करने के 120 दिन के भीतर समिति को रिपोर्ट देंगे;

26. यह निर्णय लेता है कि 12 महीनों के भीतर, उपर्युक्त पैरा 1, 3 और 7 में उल्लिखित उपायों की पुनर्विलोकन करेंगे।

27. इस मामले से सक्रिय रूप से लाभ उठाने का निर्णय लेता है।

उपाबंध 3

संकल्प 1907 (2009)

सुरक्षा परिषद द्वारा 23 दिसंबर, 2009 को अपनी 6254वीं बैठक में अंगीकृत

सुरक्षा परिषद,

विशेष रूप से अपने संकल्पों 751 (1992), 1844 (2008), और 1862 (2009) तथा इसके 18 मई, 2009 (एस/पीआरएसटी/2009/15), 9 जुलाई, 2009 (एस/पीआरएसटी/2009/19), 12 जून, 2008 (एस/पीआरएसटी/2008/20) में जिबुती और इरिट्रिया के बीच सीमा विवाद और सोमालिया में स्थिति के संबंध में इसके पूर्व के संकल्पों और इसके राष्ट्रपति के वक्तव्यों का स्मरण करते हुए,

क्रमश: सोमालिया, जिबुती और इरिट्रिया की संप्रभुता, राज्यक्षेत्रीय अखंडता और राजनैतिक स्वततंत्रता तथा एकता के संबंध में इसके सम्मान की पुन:पुष्टिं करते हुए,

जिबुती और इरिट्रिया के बीच सीमा विवाद के समाधान के महत्व को व्यक्त करते हुए,

यह पुन:पुष्टि करते हुए कि जिबुती करार तथा शांति प्रक्रिया सोमालिया में संघर्ष के समाधान का आधार व्यक्त करता है और परिवर्ती संघीय सरकार (टीएफजी) के लिए समर्थन की आगे पुन:पुष्टि करते हुए,

इस क्षेत्र, विशेषकर इरिट्रिया के भीतर तथा इसके बाहर दोनों ओर, विशेषकर इरिट्रिया द्वारा सोमालिया में विकेन्द्रिकरण की कार्रवाइयों में संलिप्त सशस्त्र समूहों को समर्थन देकर और शांति तथा मेल-मिलाप के प्रयासों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता (एस/2009/388) को धूमिल करने वाले विदेशी कार्यकर्ताओं के विरूद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए परिषद का आह्वान करते हुए सिरते, लीबिया में अफ्रीकी संघ (एयू) के 13वें सत्र के निर्णय पर ध्यान करते हुए,

आगे जिबुती और इरिट्रिया (एस/2009/388) के बीच सीमा विवाद के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ 1862 (2009) के संकल्प के संबंध में इरिट्रिया द्वारा क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति बिलकुल भी न होने के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सिरते, लीबिया में अफ्रीकी संघ की 13वीं सभा के निर्णय पर गौर करते हुए,

दिसंबर, 2008 की अपनी रिपोर्ट (एस/2008/769) में यथारेखांकित संकल्प 1853 (2008) के संकल्प द्वारा पुनःस्थापित अनुवीक्षण समूह के निष्कर्षों से संबंधित अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कि इरिट्रिया ने क्षेत्रीय स्थिरता तथा सोमालिया में शांति तथा मेल-मिलाप को धूमिल करने में संलिप्त सशस्त्र समूहों को राजनैतिक, वित्तीय तथा संभारतंत्रीय समर्थन प्रदान किया है,

टीएफजी पदाधिकारियों और संस्थाओं, सिविलियन आबादी, मानवीय कार्यकर्ताओं और सोमालिया के लिए यूनियन संघ (एएमआईएसओएम) के कार्मिकों पर हुए सभी सशस्त्र हमलों *की भर्त्सना करते हुए,*

जिबुती करार को इरिट्रिया द्वारा अस्वीकार करने पर *गंभीर चिंता व्यक्त करते* हुए, जैसा कि सुरक्षा परिषद (एस/2009/256) के अध्यक्ष को संबोधित संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इरिट्रिया के स्थायी प्रतिनिधि के 19 मई, 2009 के पत्र में उल्लिखित है,

अपने संकल्प 1844 (2008) का *स्मरण करते हुए,* जिसमें इसने सोमालिया में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों में संलिप्त अथवा उसे समर्थन प्रदान करने, शस्त्र सामग्री का उल्लंघन करने की कार्रवाई अथवा सोमालिया में मानवीय सहायता के प्रवाह को बाधित करने के लिए निर्दिष्ट व्यष्टिकों अथवा असितत्वों के विरूद्ध उपाय करने का निर्णय लिया है,

सोमालिया की स्थिरता के लिए एएमआईएसओएम के योगदान के लिए अपनी *सराहना व्यक्त करते हुए* और बुरूंडी और युगान्डा की सरकारों द्वारा एएमआईएसओएम के लिए सतत प्रतिबद्धता के लिए आगे अपनी *सराहना व्यक्त करते हुए*,

उन लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के अपने इरादे *को दोहराते हुए* जो जिबुती शांति प्रक्रिया को रोकना अथवा इसमें बाधा पहुंचाना चाहते हैं,

अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कि इरिट्रिया ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने संकल्प 1862 (2009) के अपने संकल्पों, और 12 जून, 2008 (एस/पीआरएसटी/2008/20) को अपने अध्यक्ष के वक्तव्य में सुरक्षा परिषद द्वारा यथा आह्वान किए गए पूर्व की यथास्थिति को बनाने के लिए अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया है,

इरिट्रिया द्वारा जिबुती के साथ बातचीत करने अथवा उपक्षेत्रीय अथवा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा द्विपक्षीय संपर्कों, मध्यस्थता अथवा सुविधा प्रदान करने के प्रयासों अथवा महासचिव के प्रयासों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार करने पर अपनी *गहरी चिंता को दोहराते हुए*,

30 मार्च, 2009 (एस/2009/163) को जारी महासचिव के पत्र और इसके बाद जिबुती-इरिट्रिया संघर्ष पर सचिवालय द्वारा संक्षिप्त विवरण का ध्यान करते हुए,

इस *बात का ध्यान करते हुए* कि जिबुती ने पूर्व की यथास्थिति तक अपने बलों को वापस बुला लिया है और इसने संयुक्त राष्ट्र तथ्य-खोजी मिशन और महासचिव के अच्छे कार्यालयों सहित सभी संबंधितों के साथ पूर्णतया सहयोग किया है,

यह अवधारण करते हुए कि सोमालिया में शांति तथा मेल-मिलाप को धूमिल करने की इरिट्रिया की कार्रवाई के साथ-साथ जिबुती तथा इरिट्रिया के बीच विवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं,

संयुक्त राष्ट्र के अध्याय के अध्याय 7 के अधीन कार्रवाई करते हुए,

1. इस बात को दोहराता है कि इरिट्रिया सहित सभी सदस्य राष्ट्र सोमालिया पर संकल्पों 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) और 1772 (2007) और 1844 (2008) के संकल्पों के उपाबंधों द्वारा यथा सविस्तारित और यथासंशोधित संकल्प 733 (1992) के पैरा 5 द्वारा लगाए गए सशस्त्र प्रतिबंध की शर्तों के साथ पूर्णतया अनुपालन करेंगे;

2. इरिट्रिया सहित सभी सदस्य राष्ट्रों का आह्वान करता है कि वे जिबुती शांति प्रक्रिया का समर्थन करें और सोमालिया में टीएफजी द्वारा किए गए मेल-मिलाप के प्रयासों का समर्थन करें और यह मांग करता है कि इरिट्रिया टीएफजी को प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः, अस्थिर अथवा पलटने/गिरा करने के सभी प्रयासों को समाप्त करे;

3. अपनी इस मांग को दोहराता है कि इरिट्रिया तत्काल संकल्प 1862 (2009) का अनुपालन करे और;

(i) अपने बलों और उनके सभी उपकरणों को पूर्व की यथास्थिति में वापस ले आए और यह सुनिश्चित करे कि उस क्षेत्र में कोई भी सैन्य उपस्थिति अथवा गतिविधि न चलाई जाए जहां जून 2008 में रास डोमेइरा और डोउमेइरा द्वीप में संघर्ष हुआ हो;

(ii) रास डोमेइरा और डोउमेइरा द्वीप में जिबुती के साथ अपने सीमा विवाद को स्वीकार करे, तनाव दूर करने के लिए सक्रियता से बातचीत की प्रक्रिया में भाग ले और राजनयिक प्रयासों में भी शामिल हो ताकि सीमा मामले का परस्पर स्वीकार्य निपटारा हो सके; और

(iii) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाए, चार्टर के अनुच्छेद 2, पैरा 3, 4 और 5 तथा अनुच्छेद 33 में उल्लिखित सिद्धांतों का आदर करे और संकल्प 1862 (2009) में पैरा 3 में उल्लखित अच्छे कार्यालयों के अपने प्रस्ताव के माध्यम से विशेष रूप से महासचिव के साथ पूर्णतया सहयोग करे;

4. यह मांग करता है कि इरिट्रिया 10 से 12 जून, 2008 के संघर्षों के बाद से संघर्षस्थल से लापता जिबुतियाई लड़ाकुओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं ताकि इससे संबंधित व्यक्ति जिबुतियाई युद्धबंदियों की उपस्थिति तथा दशा का निर्धारण कर सकें;

5. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र हथियारों और गोलाबारूदों, सैन्य वाहनों और उपकरण, सैन्य उपकरण, और उपर्युक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे, और तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता, सैन्य कार्रवाइयों से संबंधित अथवा इनकी व्यवस्था, विनिर्माण, रख-रखाव अथवा इन मदों के उपयोग, चाहे ये उनके क्षेत्र में विनिर्मित हो रहे हों या नहीं, सहित सभी प्रकार के हथियारों और

संबंधित सामग्री का अपने राष्ट्रिकों अथवा अपने क्षेत्रों से अथवा उनके ध्वजवाहनों अथवा जलयान/वायुयान द्वारा इरिट्रिया को बिक्री अथवा आपूर्ति रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं;

6. यह निर्णय लेता है कि इरिट्रिया किसी भी हथियार अथवा संबंधित सामग्री की अपने राष्ट्रिकों द्वारा अपने क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष आपूर्ति अथवा अंतरण नहीं करेगा और यह कि सभी सदस्य राष्ट्र उपर्युक्त पैरा 5 में वर्णित इन मदों, प्रशिक्षण और सहायता का इरिट्रिया से अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा उनके ध्वजवाहनों अथवा जलयान/वायुयान से, चाहे वे इरिट्रिया के राज्यक्षेत्र में विनिर्मित हों या नहीं, इनके प्रापण को प्रतिषेध करेगा;

7. सभी सदस्य राष्ट्रों का आह्वान करता है कि वे सोमालिया और इरिट्रिया से आनेजाने वाले सभी मालों, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप और उनके राष्ट्रीय प्राधिकारों और विधानों के अनुरूप, समुद्रपत्तन और हवाईअड्डों सहित उनके भूभाग में निरीक्षण करेंगे, यदि संबंधित राष्ट्र के पास ऐसी सूचना हो जिसमें यह विश्वास कराने के लिए उपयुक्त आधार हों कि स्थोरा में ऐसी सामग्री है जिनकी आपूर्ति, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प के पैरा 5 और 6 द्वारा प्रतिषेध है अथवा सोमालिया को साधारण और पूर्ण हथियार प्रतिबंध संकल्प 733 (1992) के पैरा 5 का अनुपालन सुनिश्चित करता हो और इन उपाबंधों के कड़े क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से इसके बाद के संकल्प द्वारा विस्तारित और संशोधित होती हों;

8. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 5 और 6 द्वारा निषिद्ध मदों की खोज होने पर उन्हें जब्त करने और समाप्त करने (या तो विनाश करके या प्रचालन से अयोग्य बनाकर) के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों को इस संकल्प के पैरा 5 और 6 द्वारा आपूर्ति, बिक्री, स्थानान्तरण, अथवा निर्यात के लिए निषिद्ध मदों के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों को प्राधिकृत करता है और आगे यह निर्णय करता है कि सभी सदस्य राष्ट्र ऐसे प्रयासों में सहयोग करेंगे;

9. किसी भी सदस्य राष्ट्र की अपेक्षा है जब यह ऐसी मदों को निष्कर्ष पाता है जिसकी आपूर्ति, बिक्री, स्थानान्तरण अथवा निर्यात इस संकल्प के पैरा 5 और 6 द्वारा निषिद्ध है, तो उन मदों को जब्त करने और नष्ट करने के लिए उठाए गए कदमों सहित संगत ब्यौरे की रिपोर्ट समिति को करेगा;

10. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र संकल्प 751 (1992) के अनुपालन में और अधोलिखित पैरा 15 में उल्लिखित मानदण्ड के अनुपालन वाले संकल्प 1844 (2008) (इसमें समिति द्वारा विस्तारित समिति द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों के अपने राज्यक्षेत्र से होकर पारगमन करने अथवा उनमें प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यकत उपाय करेंगे, बशर्ते कि इस पैरा में उल्लिखित कोई भी तथ्य किसी राष्ट्र को इसके अपने राष्ट्रिकों को अपने राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार करने के लिए बाध्य न करता हो;

11. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 10 द्वारा अवधारित उपाय लागू नहीं होंगे:

(क) जहां समिति मामला-दर-मामला यह अधिरोपित करती है कि ऐसी यात्रा, धार्मिक बाध्यताओं सहित मानवीय आवश्यकताओं के आधारों पर औचित्यपूर्ण है; अथवा,

(ख) जहां समिति मामला-दर-मामला यह अवधारित करती है कि इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्यों को एक छूट अन्यथा आगे बढ़ाएगी;

12. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र अधोलिखित पैरा 15 के अनुपालन में समिति द्वारा निर्दिष्ट व्यष्टिकों अथवा असितत्वों को हथियारों और सैन्य गोलाबारूद की आपूर्ति, बिक्री, स्थानांतरण, विनिर्माण, रख-रखाव अथवा उपयोग के लिए अथवा सैन्य कार्यकलाप से संबन्धित निवेश, ब्रोकरिंग, अथवा अन्य वित्तीय सेवाओ सहित प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य सहायता अथवा तकनीकी सहायता अथवा प्रशिक्षण, वित्तीय और अन्य सहायता की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति और उपर्युक्त के लिए हथियार तथा गोलाबारूद, सैन्य वाहनों और उपकरण, सैन्य उपकरण तथा कलपुर्जे सहित उनके राष्ट्रिकों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानान्तरण अथवा उनके भूभागों से अथवा अपने ध्वजपोत का उपयोग करके अथवा सभी प्रकार के हथियारों तथा संबंधित सामग्री वाले जलयान/वायुयान के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे;

13. यह निर्णय लेता है कि सभी सदस्य राष्ट्र अधोलिखित पैरा 15 के अनुपालन में समिति द्वारा निर्दिष्ट असितत्वों अथवा व्यष्टिकों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रित वाली ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय संपत्तियों और आर्थिक संसाधन जो उनके भूभाग में हो, जो इस संकल्प के अंगीकार करने की तारीख अथवा उसके पश्चात किसी भी समय बिना किसी विलम्ब के जब्त करेंगे;

14. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 13 द्वारा अधिरोपित किए गए उपाय उन निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होते जो सुसंगत सदस्य राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किए गए हों;

(क) जो ऐसी अधिसूचना के तीन सप्ताह के दिन के भीतर समिति द्वारा लिए गए नकारात्मक निर्णय के अभाव में और जहां उपयुक्त हो, ऐसी निधियों तक पहुंच, अन्य वित्तीय संपदा और आर्थिक संसाधनों के नेमी ग्रहण अथवा रख-रखाव के इरादे की समिति के लिए संगत सदस्य राष्ट्रों द्वारा अधिसूचित करने के बाद राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप, कानूनी सेवाओं, अथवा फीसों अथवा सेवा फीसों के उपाबंध के साथ संबंधित किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति और उपयुक्त व्यावसायिक फीसों की प्रतिदाय के लिए विशेष रूप से अथवा खाद्यपदार्थों, किराया अथवा गिरवी, दवाएं और चिकित्सा उपचार कर, बीमा प्रीमियमों सहित मूल खर्चों के लिए आवश्यक हो;

(ख) असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक हो, बशर्ते कि ऐसे निर्धारण को समिति के लिए संगत सदस्य राष्ट्र (राष्ट्रों) द्वारा अधिसूचित किया गया हो, और इसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ग) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा माध्यस्थम संपर्क अथवा निर्णय के अध्यधीन हो, जिस मामले में निधियां, अन्य वित्तीय आस्तिएं और आर्थिक संसाधन उस संपर्क अथवा निर्णय को समाधान किए जाने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि वह संपर्क अथवा निर्णय वर्तमान संकल्प की तारीख से पहले हुआ हो, और जो उपर्युक्त पैरा 13 के अनुपालन में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान के फायदा के लिए न हो, और जिसे समिति के संगत सदस्य राष्ट्र (राष्ट्रों) द्वारा अधिसूचित किया गया है;

15. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त पैरा 10 के उपाबंध इरिट्रियाई राजनैतिक और सैन्य नेतृत्व सहित लेकिन उन तक ही सीमित नहीं, व्यक्तियों और यह कि उपर्युक्त पैरा 12 और 13 इरिट्रियाई राजनैतिक और सैन्य नेतृत्व, सरकारी और पराराष्ट्रीय संस्थानों सहित लेकिन उन तक ही सीमित नहीं, और समिति द्वारा नामित इरिट्रियाई राज्यक्षेत्र के भीतर अथवा बाहर रह रहे इरिट्रियाई नागरिकों की निजी स्वामित्व वाली संस्थानों पर लागू होंगेः

(क) उपर्युक्त पैरा 5 और 6 द्वारा स्थापित किए गए उपायों का उल्लंघन करने के रूप में;

(ख) सशस्त्र विपक्षी समूहों, जिनका ध्येय इस क्षेत्र को अस्थिर करना है, को इरिट्रिया से समर्थन प्रदान करने के रूप में;

(ग) जिबुती से संबंधित संकल्प 1862 (2009) के क्रियान्वयन को बाधित करने के रूप में;

(घ) इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों अथवा उनके नागरिकों के विरूद्ध हिंसा की कार्रवाई अथवा आतंकी कार्रवाई को स्थायी बनाने के लिए आश्रय देने, वित्तपोषण करने, सुविधा प्रदान करने, समर्थन देने, संगठित करने, प्रशिक्षण देने अथवा व्यक्तियों या समूहों को उकसाने के रूप में;

(ड.) किसी अनुवीक्षण समूह की जांच अथवा कार्य में बाधा डालने के रूप में;

16. यह मांग करता है कि सभी सदस्य राष्ट्र, विशेषकर इरिट्रिया अल-शबाब सहित सशस्त्र समूहों और उनके सदस्यों को हथियार प्राप्त करने, प्रशिक्षण देने और सज्जित करने से रोके, जो इस क्षेत्र को अशांत करने का उद्देश्य रखते हैं अथवा जिबुती में हिंसा और सिविल संघर्ष को उकसाते हैं;

17. यह मांग करता है कि इरिट्रिया समिति तथा अन्य प्रतिबंध संबंधी समितियों, विशेषकर वह समिति जो संगत संकल्प में निर्धारित किए अनुसार संकल्प 1267 (1999) के अनुपालन में स्थापित समिति द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को यात्रा में सुविधा प्रदान करने और अन्य प्रकारों से वित्तीय सहायता को समाप्त करे;

18. यह निर्णय लेता है कि अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए समिति के कार्य का और विस्तार किया जाए:

(क) उपर्युक्त पैरा 5,6,8,10,12 और 13 में किए गए उपायों के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण समूह की सहायता से अनुवीक्षण करना;

(ख) उपर्युक्त पैरा 15 में निर्धारित मानदण्ड के अनुपालन में उपर्युक्त पैराग्राफ 10, 12 और 13 द्वारा लगाए गए उपायों के अध्यधीन उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को नामित करना;

(ग) उपर्युक्त पैरा 11 और 14 में निर्धारित छूटों के लिए अनुरोध किए जाने पर उन पर विचार करना और निर्णय करना;

(घ) अपने अतिरिक्त कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए अपने दिशानिर्देशों को अद्यतन करना;

19. निर्णय लेता है कि इस संकल्प में किए गए उपायों के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने और उनकी रिपोर्ट करने और नीचे की रूपरेखा वाले कार्यों को करने के लिए संकल्प 1853 (2008) द्वारा पुनः स्थापित अनुवीक्षण समूह के अधिदेश का आगे विस्तार करना और महासचिव से अनुरोध करना कि वे अतिरिक्त संसाधनों और कार्मिकों की उपयुक्त व्यवस्था करें ताकि विस्तारित अनुवीक्षण समूह अपने अधिदेश पर कार्रवाई करना जारी रख सके और इसके अतिरिक्त:

(क) उल्लंघनों पर किसी भी सूचना की रिपोर्ट करने सहित उपर्युक्त पैरा 5,6,8,10,12 और 13 में किए गए उपायों के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने में समिति की सहायता करना;

(ख) उपर्युक्त पैरा 16 और 17 के क्रियान्वयन के लिए सुसंगत किसी भी सूचना पर विचार करना जिसे समिति के ध्यान में लाया जाना चाहिए;

(ग) उपर्युक्त पैरा 15 में वर्णित व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट के सुसंगत कोई भी सूचना सुरक्षा परिषद को दी जाने वाली रिपोर्टों में शामिल करे;

(घ) इन कार्यों के अनुपालन में विशेषज्ञों के संस्वीकृत समितियों के पैनलों के साथ यथा-उपयुक्त समन्वयन;

20. सभी सदस्य राष्ट्रों का आह्वान करता है कि वे उपर्युक्त पैरा 5, 6, 10, 12 और 13 में वर्णित उपायों के क्रियान्वयन के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर इस संकल्प के अंगीकार करने के 120 दिन के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करें;

21. यह पुष्टि करता है कि यह इरिट्रिया की कार्रवाई को पुनर्विलोकन के अधीन रखेगा और यह कि इसे इस संकल्प के उपाबंधों के इरिट्रिया द्वारा अनुपालन के आलोक में उनके सुदृढ़ीकरण, संशोधन अथवा उठाने सहित उपायों का समायोजित करने के लिए तैयार किया जाएगा;

22. महासचिव से यह अनुरोध करता है कि वे इस संकल्प के उपाबंधों के इरिट्रिया द्वारा अनुपालन पर 180 दिनों के भीतर रिपोर्ट करें;

23. इस मामले पर सक्रियता से विचार करते रहने का निर्णय लेता है;

उपाबंध 4

संकल्प 2111 (2013)

सुरक्षा परिषद द्वारा 24 जुलाई, 2013 को अपनी 7009वीं बैठक में अंगीकृत

सुरक्षा परिषद,

सोमालिया और इरिट्रिया में विशेषकर संकल्प 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012) और 2039 (2013) से संबंधित पूर्व संकल्पों और इसके राष्ट्रपति के वक्तव्यों की *पुनःपुष्टि करते हुए,*

सोमालिया (एस/2013/413) और इरिट्रिया पर सोमालिया और इरिट्रिया अनुवीक्षण समूह (अनुवीक्षण समूह) की अंतिम रिपोर्टों *का ध्यान लेते हुए,*

क्रमशः सोमालिया, जिबुती और इरिट्रिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनैतिक स्वतंत्रता और एकता के लिए अपने सम्मान की *पुनःपुष्टि करते हुए,*

चारकोल पाबंदी के लगातार उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए और किसमोया में स्थिति और इन उल्लंघनों का जुबा क्षेत्रों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर प्रभाव पर विशेष रूप *से चिंता व्यक्त करते हुए,*

इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर गंभीर खतरे के रूप में, सोमालिया पर शस्त्र प्रतिबंध और इरिट्रिया पर शस्त्रों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए सोमालिया और इरिट्रिया से होकर और इनको हथियारों और गोलाबारूद की आपूर्ति के प्रवाह *की निंदा करते हुए,*

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए शिविरों में सहित न्यायक्षेत्र से परे हत्याओं, स्त्रियों, बालकों और पत्रकारों के विरूद्ध हिंसा, मनमाने रूप से बंदी बनाकर रखने और सोमालिया में व्यापक लैंगिक हिंसा सहित मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त करना और दण्डमुक्ति को समाप्त करने, मानवाधिकार को बनाए रखने और ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता को *चिंताव्यक्त करते हुए,*

वित्तीय संसाधनों के आबंटन में सोमालिया की संघीय सरकार और दाताओं दोनों को परस्पर जिम्मेदार और पारदर्शी होने के महत्व को *रेखांकित करते हुए*,

पिछले वर्षों के दौरान सोमालिया में महत्वपूर्ण प्रगति *की मान्यता करते हुए*, सोमालिया की संघीय सरकार की सोमालिया में शांति और स्थिरता लाने के इसके प्रयासों के लिए सराहना करते हुए और इसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हुए कि सोमालिया के अनंतिम संविधान के अनुरूप, एक संघीय ढ़ांचे के कार्यान्वयन की ओर एक स्पष्ट राजनैतिक प्रक्रिया निर्धारित तथा परिभाषित की जाए,

सोमालिया की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के साथ-साथ अन्य सूचिबद्ध मानदण्ड के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली कार्रवाइयों में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं को सूचिबद्ध करने के लिए उनकी पहचान करने में सोमालिया संघीय सरकार की संलग्नता *को प्रोत्साहित करते हुए*,

सोमालिया की संघीय सरकार के साथ सक्रिय संबंध विकसित करते रहने के लिए अनुवीक्षण समूह के आशय *का स्वागत करते हुए,*

मानवीय अभिकरणों और अनुवीक्षण समूह के बीच सूचना के आदान-प्रदान के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए और अनुवीक्षण समूह तथा मानवीय अभिकरणों के बीच वृहत सूचना साझा करने और संवाद के लिए *आग्रह करते हुए*,

इस संकल्प के पैरा 10 के प्रचालन में नए छूटों को जोड़ने के साथ-साथ क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सोमालिया और इरिट्रिया पर शस्त्र प्रतिबंधों में विद्यमान छूट को ठोस बनाने और उसकी पुष्टि करने के इसके *इरादे को व्यक्त करते हुए*,

16 सितंबर को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ-सोमालिया सम्मेलन की *उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए* और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का *आग्रह करते हुए* कि सोमालिया सरकार की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढ़ंग से समर्थन दिया जाए,

शस्त्र प्रतिबंधों के निलंबन की निबंधनों के तहत सोमालिया संघीय सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में इसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन के महत्व *को रेखांकित करते हुए*,

राष्ट्रपति के टिप्पण एस/2006/997 द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा परिषद अधीनस्थ संगठन शाखा के लिए विशेषज्ञों के रोस्टर का विस्तार तथा इसमें सुधार करने के लिए सचिवालय द्वारा किए गए प्रयासों *की सराहना करते हुए*,

पैरा 21, 22 और 23 जो अनुवीक्षण तंत्रों के लिए तौर तरीकों के मानकों को स्पष्ट करने के लिए संभावित कदमों पर चर्चा करता है, सहित सर्वोत्तम चलन तथा तरीकों पर संस्वीकृति रिपोर्ट (एस/20006/997) के सामान्य मुद्दों पर अनौपचारिक कार्य समूह *का आह्वान/स्मरण करते हुए*,

यह अवधारित करते हुए कि सोमालिया में स्थिति, सोमालिया में इरिट्रिया के प्रभाव, के साथ-साथ जिबुती और इरिट्रिया के बीच मतभेद इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के पाठ 7 के तहत कार्रवाई करते हुए,

1. यह स्मरण/आह्वान करता है कि संकल्प 1844 (2008), जो लक्षित प्रतिबंधों को थोपता है और संकल्प 2002 (2011) और 2093 (2013) जिसने सूचिबद्धता मापदण्ड का विस्तार किया और संकल्प 1844 (2008) के तहत सूचिबद्धता मानदण्डों में से एक को नोट करता है, ऐसी कार्रवाई में संलिप्त है जो सोमालिया की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है;
2. ऊपर उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर व्यक्तियों और संस्थाओं के विरूद्ध लक्षित उपाय करने के लिए अपनी इच्छा को दोहराते हुए;
3. यह दोहराते हुए कि जांचों अथवा अनुवीक्षण समूह के कार्यों में बाधा पहुंचाना संकल्प 1907 (2009) के पैरा 15 (सी) के तहत सूचिबद्ध करने का आधार है;

शस्त्र प्रतिरोध

4. संकल्प 733 (1992) के पैरा 5 द्वारा अधिरोपित किए गए और संकल्प 1425 (2002) के पैरा 1 और 2 में आगे और विस्तार किया गया और संकल्प 2093 (2013) (यहां आगे "सोमालिया पर हथियार प्रतिरोध" से कहा गया है) के पैरा 33 से 38 द्वारा संशोधित सोमालिया पर शस्त्र प्रतिबंध की पुष्टि करता है;
5. संकल्प 1907 (2009) (यहां आगे "इरिट्रिया पर हथियार प्रतिरोध" से कहा गया है) के पैरा 5 और 6 द्वारा अधिरोपित गए इरिट्रिया पर शस्त्र प्रतिबंध की आगे पुष्टि करता है;

6. यह निर्णय लेता है कि 6 मार्च, 2014 तक सोमालिया पर शस्त्र प्रतिरोध इस संकल्प के उपाबंध में निर्धारित मदों की सुपुर्दगियों के संबंध में को छोड़कर सोमालिया के लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सोमालिया संघीय सरकार के सुरक्षा बलों के विकास के लिए ही केवल इरादतन सलाह, सहायता अथवा प्रशिक्षण के उपाबंध अथवा हथयारों अथवा सैन्य उपकरण की सुपुर्दगियों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी;

7. यह निर्णय लेता है कि सदस्य राष्ट्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों द्वारा सोमालिया संघीय सरकार को इस संकल्प के उपाबंध में मदों की आपूर्तियां मामला दर मामला आधार पर समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा रखता है;

8. यह निर्णय लेता है कि केवल सोमालिया संघीय सरकार के सुरक्षा बलों के विकास के लिए बेचे गए अथवा आपूर्ति किए गए हथियार अथवा सैन्य उपकरण उन किसी व्यष्टिकों और संस्थाओं को पुनःबिक्री, हस्तांतरित अथवा उपलब्ध नहीं कराए जाएं जो सोमालिया संघीय सरकार के सुरक्षा बलों की सेवा में नहीं हैं;

9. सोमालिया संघीय सरकार को 6 अक्तूबर, 2013 से पहले और इसके बाद 6 फरवरी, 2014 से पहले और इसके पश्चात हरेक छह महीनों में सुरक्षा परिषद को निम्नलिखित के संबंध में अपनी बाध्यताओं/दायित्वों के बारे में रिपोर्ट करने का स्मरण दिलाता है कि;

(क) सोमालिया की संघीय सरकार के सुरक्षा बलों की अवसंरचना;

(ख) सोमालिया संघीय सरकार के सुरक्षा बलों द्वारा सैन्य उपकरण के सुरक्षित संग्रहण, रजिस्ट्रीकरण, अनुरक्षण तथा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लागू अवसंरचना;

(ग) सोमालिया संघीय सरकार के सुरक्षा बलों द्वारा हथियारों के रजिस्ट्रीकरण, वितरण, उपयोग तथा संग्रहण के लिए और इस संबंध में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए लागू प्रक्रियाओं तथा आचार संहिताएं;

10. यह निर्णय लेता है कि सोमालिया पर हथियार प्रतिरोध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा;

(क) सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएसओएम) सहित संयुक्त राष्ट्र के कार्मिक द्वारा उपयोग अथवा सहायता मात्र के आशय से सहायता का उपाबंध अथवा हथियारों अथवा सैन्य उपकरण की आपूर्तियां;

(ख) सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (एएमआईएसओएम) द्वारा उपयोग के लिए अथवा मात्र सहायता के इरादे से हथियारों और सैन्य उपकरण की आपूर्तियां, तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता;

(ग) 15 जनवरी, 2012 की अफ्रीकी संघ रणनीति संकल्पना (अथवा इसके बाद के अफ्रीकी संघ रणनीतिक संकल्पना) के तहत और एएमआईएसओएम के साथ सहयोग और समन्वय करके मात्र कार्रवाई करने वाले एएमआईएसओएम के रणनीतिक सहयोगियों की सहायता अथवा उनके उपयोग के लिए मात्र इरादे से सहायता के उपाबंध अथवा हथियारों अथवा सैन्य उपकरण की आपूर्तियां;

(घ) सोमालिया में यूरोपीय संघ प्रशिक्षण मिशन (ईयूटीएम) द्वारा उपयोग अथवा सहायता मात्र के आशय से सहायता का उपाबंध अथवा हथियारों अथवा सैन्य उपकरण की आपूर्तियां;

(ड.) सोमालिया संघीय सरकार के अनुरोध पर सोमालिया के समुद्र तट पर जलदस्युता तथा समुद्री डकैती की कार्रवाइयों को रोकने के लिए उपाय करने हेतु केवल सदस्य राष्ट्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय संगठनों के मात्र उपयोग के लिए तय हथियारों और सेन्य उपकरण की आपूर्तियां, जिसके लिए इसने महासचिव को नामित किया है और बशर्ते कि उठाया गया कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय मानवीयता और मानवाधिकार कानून के अनुरूप होगा;

(च) संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों और मानवीय तथा विकास कामगारों और संबद्ध कार्मिकों के अपने व्यक्तिगत उपयोग मात्र के लिए इनके द्वारा सोमालिया को अस्थायी रूप से निर्यातित फ्लैक जैकेट और सैन्य हेमलेटों सहित सुरक्षात्मक कपड़ों की आपूर्तियां;

(छ) आपूर्तिकर्ता राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय संगठनों द्वारा केवल समिति को इसकी सूचना के लिए पांच दिन अग्रिम रूप से अधिसूचित करके मानवीय तथा सुरक्षात्मक उपयोग के लिए मात्र इसके इरादे से अघातक सैन्य उपकरण की आपूर्तियां;

11. आगे यह निर्णय लेता है कि सोमालिया पर शस्त्र प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) आपूर्तिकर्ता राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय संगठन से किसी भी ऐसी सहायता की अधिसूचना प्राप्त करने के पांच कार्यदिवसों के भीतर समिति द्वारा किसी नकारात्मक निर्णय के अभाव में सोमालियाई सुरक्षा क्षेत्र की संस्थाओं को विकसित

होने में सहायता करने मात्र के प्रयोजनार्थ सदस्य राष्ट्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों द्वारा हथियारों अथवा सैन्य उपकरण तथा तकनीकी सहायता की आपूर्तियां अथवा प्रशिक्षण प्रदान करना;

12. यह निर्णय लेता है कि इरिट्रिया पर हथियार प्रतिबंध समिति द्वारा अग्रिम रूप से मामला दर मामला आधार पर यथा अनुमोदित मानवीय अथवा सुरक्षात्मक उपयोग मात्र के इरादे से अघातक सैन्य हथियार की आपूर्तियों पर लागू नहीं होगा;

13. यह निर्णय लेता है कि इरिट्रिया पर हथियार प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों और मानवीय तथा विकासात्मक कामगारों और संबद्ध कार्मिकों के मात्र अपने उपयोग के लिए इरिट्रिया को अस्थायी निर्यात किए गए फ्लैक जैकेट और सैन्य हेमलेटों सहित सुरक्षात्मक कपड़ों पर लागू नहीं होगा;

समिति को अधिसूचना

14. यह निर्णय लेता है कि सोमालिया संघीय सरकार को इस संकल्प के अनुबंध में सूचिबद्ध मदों को छोड़कर और इस संकल्प के पैरा 6 में यथा अनुमत्य, सोमालिया संघीय सरकार के सुरक्षा बलों मात्र के लिए आशय से सहायता के प्रावधान अथवा सैन्य उपकरण अथवा उपकरणों के किसी भी प्रदायगियों का कम से कम पांच दिन अग्रिम रूप से अपनी सूचना के लिए समिति को अधिसूचित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है;

15. आगे यह निर्णय लेता है कि सहायता प्रदान करने वाले सदस्य राष्ट्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठन वैकल्पिक रूप से सोमालिया संघीय सरकार के परामर्श से इस अधिसूचना को तैयार करें;

16. इस महत्व पर जोर देता है कि उपर्युक्त पैरा 14 और 15 के अनुसार समिति को प्रस्तुत की गई अधिसूचनाओं में, जहां लागू हो, प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित हथयारों, गोलाबारूद, सैन्य उपकरण और सामग्री के प्रकार और इसकी मात्रा और सोमालिया में प्रदानगी की प्रस्तावित तारीख तथा विनिर्दिष्ट स्थान सहित सभी संगत सूचना निहित हो;

17. सोमालिया संघीय सरकार का आह्वान करता है कि वह विशेष रूप से इस संकल्प के पैरा 14 में निर्धारित अधिसूचना प्रक्रिया, और हथियार प्रतिबंध के निलंबन की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे;

चारकोल पाबंदी

18. यह दोहराता है कि सोमालियाई प्राधिकारीगण सोमालिया से चारकोल के निर्यात को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे और अनुरोध करता है कि संकल्प 2093 के पैरा 1 में निर्धारित इसके अधिदेश के एएमआईएसओएम के क्रियान्वयन के भाग के रूप में एएमआईएसओएम ऐसा करने में सोमालियाई प्राधिकारियों की सहायता करे, और दोहराता है कि सभी सदस्य राष्ट्र सोमालिया से चारकोल के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष निर्यात को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे चाहे ऐसे चारकोल सोमालिया मूल रूप से सोमालिया के हों या नहीं;

19. सदस्य राष्ट्रों द्वारा चारकोल प्रतिबंध के उल्लंघनों वाली रिपोर्टों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है और आगे सोमालियाई चारकोल के संभावित ठोस विनाश पर अनुवीक्षण समूह से विस्तृत सूचना के लिए अनुरोध करता है, चारकोल के मुद्दे पर सोमालिया के कार्यबल के अध्यक्ष के लिए अपना समर्थन दोहराता है, और चारकोल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने की अपनी इच्छा को रेखांकित करता है;

20. एएमआईएसओएम के लिए टुकडियों का योगदान करने वाले पुलिस तथा दस्तों सहित सदस्य राष्ट्रों को संकल्प 2036 (2012) में यथा निर्धारित चारकोल पाबंदी का पालन करने के लिए उनके दायित्वों का स्मरण कराता है;

मानवीय मुद्दे

21. मानवीय सहायता अभियानों के महत्व को रेखांकित करता है, मानवीय सहायता का राजनीतिकरण अथवा दुरूपयोग तथा अपयोजन की निंदा करता है, और सदस्य राष्ट्रों व संयुक्त राष्ट्र का आह्वान करता है कि वे सोमालिया में इन उपर्युक्त चलनों को न्यूनतम करने के लिए सभी व्यवहार्य कदम उठाएं;

22. यह निर्णय लेता है कि 25 अक्तूबर, 2014 तक और अन्यत्र आयोजित मानवीय सहायता कार्यक्रमों से पूर्वाग्रह किए बिना संकल्प 1844 (2008) के पैरा 3 द्वारा लगाए गए उपाय संयुक्त राष्ट्र महासभा जो मानवीय सहायता प्रदान करता है और सोमालिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त अपील में भाग लेने वाले द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों सहित इसके क्रियान्वयन सहयोगियों सहित पर्यवेक्षक की हैसियत वाले संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञताप्राप्त अभिकरणों और कार्यक्रमों, मानवीय संगठनों द्वारा सोमालिया में मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता की समय पर प्रदानगी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निधियों की आदयगी, अन्य वित्तीय संपदाओं अथवा आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होंगे;

23. सोमालिया में मानवीय सहायता की प्रदानगी में किसी भी रूकावट पर और सोमालिया में मानवीय सहायता की प्रदानगी पर 20 मार्च, 2014 और पुनः 20 सितंबर, 2014 तक सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने के लिए आपात राहत समन्वयक का अनुरोध करता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा और उनके क्रियान्वयन सहयोगियों के साथ पर्यवेक्षक की हैसियत वाले संयुक्त राष्ट्र की संगत अभिकरणों और मानवीय संगठनों, जो सोमालिया में मानवीय सहायता प्रदान करते हैं, से ऐसी रिपोर्टें तैयार करने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि करने के हित में सोमालिया के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वयक के साथ सूचना साझा करने की उनकी इच्छा और सहयोग को बढ़ाने का अनुरोध करता है;

24. सोमालिया तथा पड़ोसी देशों में कार्यरत अनुवीक्षण समूह तथा मानवीय संगठनों के बीच और अधिक सहयोग, समन्वय तथा सूचना साझा करने का अनुरोध करता है;

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन

25. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की सोमालिया के राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता का संज्ञान लेता है, सोमालिया के सार्वजनिक संसाधनों के अपयोजन की रिपोर्टों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता है, लोक/सार्वजनिक वित्त के प्रभावी प्रबंधन और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है, भ्रष्टाचार से लड़ने और सरगनाओं को जिम्मेदार ठहराने, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सोमालिया संघीय सरकार को अधिक जोरदार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और सार्वजनिक संसाधनों का गबन करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की अपनी इच्छा को दोहराता है;

पेट्रोलियम सेक्टर

26. सोमालिया में अधिक तनाव का स्रोत बन रहे सोमालिया में पेट्रोलियम क्षेत्र के खतरे के विरूद्ध उपयुक्त रूप से इसके शमन के लिए सोमालिया संघीय सरकार को प्रोत्साहित करता है;

अनुवीक्षण समूह का अधिदेश

27. संकल्प 2060 (2012) के पैरा 13 में यथानिर्धारित और संकल्प 2093 (2013) के पैरा 41 में यथा-अद्यतित सोमालिया और इरिट्रिया के अधिदेश को 25 नवंबर, 2014 तक बढ़ाने का निर्णय लेता है, 25 अक्तूबर, 2014 से पहले ही आगे विस्तार के संबंध में अधिदेश की समीक्षा करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के अपने आशय को व्यक्त करता है, और पूर्व के संकल्पों के अनुसरण में स्थापित अनुवीक्षण समूह के सदस्यों की विशेषज्ञता पर यथाउपयुक्त तैयार किए गए इसके संकल्प की तारीख से सोलह महीनों की अवधि के लिए समिति के परामर्श से अनुवीक्षण समूह के यथासंभव शीघ्र पुनःस्थापना के लिए आवश्यक प्रशासनिक उपाय करने के लिए महासचिव से अनुरोध करता है;

28. अनुवीक्षण समूह के अधिदेश की समाप्ति से ठीक तीस दिन पहले संकल्प 2060 (2012) में निर्धारित और संकल्प 2093 (2013) के पैरा 41 में अद्यतित सभी कार्यों को शामिल करते हुए, दो अंतिम रिपोर्ट, एक सोमालिया पर केन्द्रित और दूसरा इरिट्रिया पर केन्द्रित रिपोर्ट समिति के माध्यम से सुरक्षा परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए अनुवीक्षण समिति से अनुरोध करता है;

29. अनुवीक्षण समूह की रिपोर्टों में की गई संस्तुतियों पर विचार करने के लिए इसके अधिदेश के अनुरूप और अनुवीक्षण समिति तथा अन्य संगत संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से परामर्श करके समिति से अनुरोध करता है, और परिषद को सोमालिया और इरिट्रिया शस्त्र प्रतिबंधों के अनुपालन और क्रियान्वयन में सुधार करने के तरीके, सोमालिया से चारकोल के आयात तथा निर्यात के संबंध में उपाय के साथ-साथ जारी हिंसा के प्रत्युत्तर में उपर्युक्त पैराग्राफ 1 का संज्ञान लेते हुए, संकल्पों 1844 (2008) के पैरा 1, 3 और 7 तथा संकल्प 1907 (2009) के पैराग्राफों 5, 6, 8, 10, 12 और 13 द्वारा अधिरोपित गए लक्षित उपायों के क्रियान्वयन की संस्तुति करता है;

30. यह निर्णय लेता है कि अनुवीक्षण समूह अब आगे उसी महीने में समिति को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं रहेगा जिसमें यह अपनी मध्यावधि सार प्रदान करता है और अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है;

31. इरिट्रिया की सरकार और अनुवीक्षण समूह के बीच संपर्क के महत्व को रेखांकित करता है और अपनी इस आशा को रेखांकित करता है कि इरिट्रिया सरकार बिना किसी और विलंब के अनुवीक्षण समूह को इरिट्रिया में प्रवेश को सुविधाजनक करेगी;

32. सभी पक्षकारों और सभी राष्ट्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनों तथा एएमआईएसओएम से अनुवीक्षण समूह के साथ सहयोग सुनिश्चित करने और अनुवीक्षण समूह के सदस्यों की सुरक्षा, अबाधित प्रवेश विशेषकर उन व्यक्तियों, दस्तावेजों और स्थलों, जिसे अनुवीक्षण समूह अपने अधिदेश के क्रियान्वयन के लिए संगत मानता है, तक प्रवेश सुनिश्चित करने का आग्रह करता है;

एएमआईएसओएम

33. सचिवालय तथा अफ्रीकी संघ द्वारा एएमआईएसओएम की आगामी संयुक्त समीक्षा के परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है, 10 अक्तूबर, 2013 तक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विकल्पों तथा संस्तुतियों के लिए अनुरोध करता है, समीक्षा के संबंध में सचिवालय के साथ घनिष्ठंता से मिलकर काम करने के अफ्रीकी संघ के इरादे का स्वागत करता है;

34. इस मामले से सक्रियता से लाभ उठाते रहने का निर्णय करता है।

उपाबंध

1. सतह से हवाई मिसाइल, मानव-पोर्टबल एयर-डिफेंस प्रणाली सहित (एमएएनपीएडीएस);

2. 12.7 मिलीमीटर से अधिक कैलिबर वाली बंदुकें, होवित्जर, और तोपें, और इनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए गोलाबारूद तथा घटक। (इसमें आरपीजी अथवा एलएडब्लू से, राइफल ग्रेनेड, अथवा ग्रेनेड लॉंचर जैसे कंधे पर रखकर दागने वाले टैंक-रोधी रॉकेट लॉंचर शामिल नहीं हैं।);

3. 82 मिलीमीटर से अधिक के कैलिबर वाला एक मोर्टार;

4. टैंक-रोधी लक्षित मिसाइलें (एटीजीएम) सहित टैंक-रोधी लक्षित मिसाइलें और इन मदों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए गोलाबारूद और घटक;

5. ऊर्जायुक्ते सामग्रियों, सुरंगों और संबंधित सामग्री सहित सैन्य उपयोग के इरादे वाली आक्रमणों वाले उपकरण;

6. रात्रि दृष्टि क्षमता वाले हथियार।

उपाबंध 5

सूची का संयोजन
इस सूची में दो वर्ग हैं जो नीचे वर्णित हैं :

क. व्याक्तिगत

ख. संस्थाएं तथा अन्य समूहें

सूची से हटाने के संबंध में सूचना समिति की वेबसाइट पर देखी जा सकती है :http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

क. व्यक्तिगत

एसओआई.012 नाम : 1: अबुबकर 2: शरीफ 3: अहमद 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम : उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: क. 1962 ख. 1967 जन्मस्थान: केन्या अच्छे लक्षण उर्फ : क. माकाबुरी ख. शेख अबुबकर अहमद ग. अबुबकर शरीफ अहमद घ. अबु मकाबुरी शरीफ ड.. अबुबकर शरीफ च. अबुबकर अहमद कमजोर लक्षण उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रिकता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: मेजेंगो एरिया, मोंबासा, केन्या सूचीबद्ध: 23 अगस्त्, 2012 अन्य सूचना:

एसओआई.003 नाम : 1: हसन 2: अब्दुरल्ला 3: हेरसी 4: अल-तुरकी उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: लगभग 1944 जन्म स्थान: ओगादेन क्षेत्र, इथियोपिया अच्छे लक्षण उर्फ : क. अल-तुकरी, हसन ख. तुर्की हसन ग. तुर्की हसन अब्दील्लाही हेरसी घ. तुर्की, शेख हसन ड.. जिरसी, जिसन काब्दील्लाही च. जिरसी, जिसन काब्दुल्ले कमजोर लक्षण उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: सोमालिया सूचीबद्ध: 12 अप्रैल, 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.004 नाम : 1: अहमद 2: आब्दी 3: अल-मोहामेद 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म:तिथि: 10 जुलाई, 1977 जन्मस्थान: हारगेइसा, सोमालिया अच्छे लक्षण उर्फ : क. अबु जुबेइर मुक्तार अब्दीराहेमन ख. अबुजुबैर, मुक्ता्र अब्दुलरहीम ग. अव मोहम्मद, अहमद अब्दी घ. अव-मोहम्मेद अहमद अब्दी ड.. "गोदाने" च. "गोदानी" छ. "मुक्तार, शेख" ज. "जुबैर अबु" कमजोर लक्षण उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: सूचीबद्ध: 23 अप्रैल, 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.002 नाम : 1: हसन 2: दाहिर 3: अवैस 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: 1935 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं अच्छे लक्षण उर्फ: क. अली, शेख हसन दाहिर अवैस ख. अवैस, हसन दाहीर ग. अवैस, शेख हसन दाहीर घ. अवैसख् हसन दाहीर ड.. अवैस, अहमद दाहीर च. अवैस, शेख छ. अवैस, शेख हसन दाहीर ज. दाहीर, अवैस हसन झ. अवैस, हसन ताहीर इयं. "हसन, शेख" कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रिकता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: सोमालिया सूचीबद्ध: 12 अप्रैल, 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.001 नाम : 1: यासीन 2: अली 3: बैना 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: 24 दिसंबर, 1965 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं अच्छे लक्षण उर्फ: क. अली, यासिन बैना ख. अली, यासिन मोहम्मद ग. बैना, यासिन घ. बैना, यासिन ड.. बैनाख, यासीन काली च. बेनाह, यासिन छ. बीनाह, यासिन ज. बिनाख, यासिन झ. बेना, यासिन इयं. बेनाह यास्सीन च. बेनाख, यास्सीन छ. बेइना यासिन ज. बिना, यासिन झ. काली, यासीइन बेनाख कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रिकता: क. सोमालिया ख. स्वीडेन पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या:: उपलब्ध नहीं पता: क. रिंकेबी, स्टॉकहोम, स्वीडेन ख. मोगादीशु, सोमालिया सूचीबद्ध: 12 अप्रैल 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.014 नाम : 1: अहमद 2: हम्मामी 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म:तिथि: लगभग 1972 जन्म स्थान: सोमालिया अच्छे लक्षण उर्फ: क. शेख अहमद उमर अबु उबैदा ख. शेख ओमर अबु उबैदाह ग. शेख अहमद उमर घ. शेख माहेद ओमर अब्दीकारीम ड. अबु उबैदा च. अबु दीरीया कमजोर लक्षण उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: सोमालिया सूचीबद्ध: 24 सितंबर, 2014 अन्य सूचना:

एसओआई.010 नाम : 1: ओमर 2: हम्मामी 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: 6 मई, 1986 जन्म स्थान: अलाबामा, संयुक्त राज्य अच्छे लक्षण उर्फ: क. अबु मंसुर अल-अमरीकी ख. अबु मंसुर अल-अमरीकी ग. अबु मंस्सुर अल-अमरीकी घ. उमर हम्मामी ड.. अबु मंसुर अलअमरीकी च. कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: संयुक्त राज्य , माना जाता है कि इसके पास सीरिया की भी राष्ट्रिकता है पासपोर्ट संख्या: 403062567 (अमरीका) राष्ट्रीय पहचान संख्या: सामाजिक सुरक्षा संख्या 423-31-3021 (अमरीका) पता: सोमालिया सूचीबद्ध: 28 जुलाई, 2011 अन्य सूचना: एक सोमालियाई महिला से शादीशुदा है 2005 में मिस्र में रहा और 2009 में सोमालिया चला गया

एसओआई.005 नाम : 1: फुआद 2: मोहम्मद 3: खालफ 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं अच्छे लक्षण उर्फ: क. फुआद मोहम्मद खालिफ ख. फुआद मोहम्मद कालिफ ग. फुआद मोहम्मद कलफ घ. फुआद मोहम्मेद खालिफ ड.. फुआद मोहम्मेद खालिफ च. फुआद खालाफ छ. फुआद शोनगाले ज. फुआद शोनगाले झ. फुद सोनगाले इयं. फोअद शोनगाले च. फुआद मोहम्मेद खालिफ शोनगाले कमजोर लक्षण उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: क. मोगादीशु, सोमालिया ख. सोमालिया सूचीबद्ध: 12 अप्रैल, 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.006 नाम : 1: बशीर 2: मोहम्मद 3: महमुद 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: क. 1981 ख. 1982 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं अच्छे लक्षण उर्फ: क. बशीर मोहम्मद मोहमुद ख. बशीर माहेमुद मोहाम्मुद ग. बशीर मोहम्मद मोहामुद घ. बशीर मोहम्मद मोहामाउद ड.. बशीर यारे च. बशीर क़ोरगाब छ. गुरे गाप ज. "अबु मुस्काब" झ. "क़ोरबी" कमजोर लक्षण उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता: मोगादीशु, सोमालिया सूचीबद्ध: 12 अप्रैल, 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.008 नाम : 1: फारेस 2: मोहम्मद 3: मानाआ 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: 8 फरवरी, 1965 जन्म स्थान: सदह, यमन अच्छे लक्षण उर्फ: क. फारी, मानाआ ख. फारेस मोहम्मद मनआ कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रिकता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या: 00514146, साना, यमन में से जारी (जारी करने की तारीख 7 जनवरी, 1996) राष्ट्री य पहचान संख्या : 1417576, अल-अमाना, यमन में जारी किया गया (7 जनवरी, 1996 को जारी किया गया) पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 12 अप्रैल, 2010 अन्य सूचना:

एसओआई.011 नाम : 1: अबौद 2: रोगो 3: मोहम्मेद 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: क. 11 नवंबर, 1960 ख. 11 नवंबर, 1967 ग. 11 नवंबर, 1969 घ. 1 जनवरी, 1969 जन्म स्थान: लामु द्वीप, केन्या अच्छे लक्षण उर्फ: क. अबुद

मोहम्मद रोगो ख. अबुद शेफ रोगो ग. अबुद मोहम्मेद रोगो घ. शेख अबुद रोगो ड.. अबुद रोगो मोहम्मेद च. अबोद रोगो मोहम्मेद कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रिकता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 25 जुलाई, 2012 अन्य सूचना:

एसओआई.009 नाम : 1: हसन 2: माहत 3: ओमर 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: 10 अप्रैल, 1979 जन्म स्थान: गारिसा, केन्या अच्छे लक्षण उर्फ: क. हसन हुसैन अदाम ख. हसाने महद ओमार ग. खसान खुसैन अदन घ. असान महद कुमार ड.. अबु सलमान च. अबु सलम्मान छ. शेख हसन हुसैन कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: शायद इथयोपियाई पासपोर्ट संख्या: ए1180173, केन्या में जारी किया गया (20 अगस्त, 2017 को तिथि समाप्त) राष्ट्रीय पहचान संख्या: 23446085 (राष्ट्रीय आईडी कार्ड) पता: नैरोबी, केन्या सूचीबद्ध: 28 जुलाई, 2011 अन्य सूचना:

एसओआई.013 नाम : 1: मालीम 2: सलमान 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्म तिथि: लगभग 1979 जन्म स्थान: नैरोबी, केन्या अच्छे लक्षण उर्फ: क. मुआलीम सलमान ख. मुआलीम सुलेमान ग. आमीर सलमान घ. मालीम सुलैमान ड.. मालिम सुलैमान अली च. मआलीम सेलमन अली छ. मआलीम सेल्मान ज. मालीम सुलेमान कमजोर लक्षण उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: सोमालिया पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता: सोमालिया सूचीबद्ध: 23 सितंबर, 2014 अन्य सूचना: ख

असितत्वों और अन्य समूह 751 (1992) और 1907 (2009)

001 नाम : अल-शबाब उर्फ क. अल-शबाब ख. शाबाब ग. द यूथ घ. मुजाहिदीन अल-शबाब मुवमेंट ड.. मुजाहिदीन यूथ मुवमेंट च. मुजाहीदीन युथ मुवमेंट छ. एमवाईएम ज. हरकत शबाब अल-मुजाहिदीन ज. हिजबुल शबाब झ. हीसबुल शबाब इयं. अल-शबाब अल-इस्लामिया ट. यूथ विंग ठ. अल-शबाब अलइस्लाम ड. अल-शबाब अल-जिहाद ढ. द यूनिटी ऑफ इस्लामिक यूथ ण. हरकत अल-शबाब अल-मुजाहिदीन त. हरकतुल शबाब अल मुजाहीद्दीन थ. मुजाहिदीन यूथ मुवमेंट एफ.के.ए. उपलब्ध नहीं पता : उपलब्ध नहीं

[फा. सं. यू-।।/152/2/2016]

रूदेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 24th June, 2016

S.O. 2220 (E).—Whereas, the Security Council of the United Nations in its 3039th Meeting adopted Resolution 733(1992) [appended to this Order as Annexure 1], under Chapter VII of the Charter of the United Nations which required all States, for the purposes of establishing peace and stability in Somalia, to immediately implement a general and complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Somalia until the Council decides otherwise;

And whereas, the Security Council of the United Nations in its 6019th Meeting adopted Resolution 1844(2008) which required all States to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) and paragraph 3 of the resolution required all States to freeze without delay the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee and to ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of such individuals or entities;

And whereas, the Security Council of the United Nations in its 6254th Meeting adopted Resolution 1907(2009) which required all States to take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Eritrea by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned as well as technical assistance, training, financial and other assistance, related to the military activities or

to the provision, manufacture, maintenance or use of these items, whether or not originating in their territories and assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to the individuals or entities designated by the Committee and also States are required to prohibit the procurement of such items, training and assistance from Eritrea by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of Eritrea;

And whereas, Resolution 2111(2013) of the Security Council of the United Nations require States to fully implement the provisions contained in Resolutions 733 (1992), 751(1992), 1356(2001), 1407(2002), 1425(2002), 1474(2003), 1844(2008), 1907(2009), 1972(2011), 2002(2011), 2023(2011), 2036(2012), 2060(2012), 2093(2013), 2111(2013), 2124(2013), 2125(2013), 2142(2014),2182(2014) and 2244(2015);

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Somalia and Eritrea;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolutions, namely;-

1. **Short title and commencement: -** (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Somalia and Eritrea Order, 2016.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions: -** (1) In this order, unless the context otherwise requires,

   (a) "Resolution" means the Resolution 733 of 1992 of the Security Council of the United Nations adopted on 23 January 1992 and includes Resolutions 751(1992), 1356(2001), 1407(2002), 1425(2002), 1474(2003), 1844(2008), 1907(2009), 1972(2011), 2002(2011), 2023(2011), 2036(2012), 2060(2012), 2093(2013), 2111(2013), 2124(2013), 2125(2013), 2142(2014), 2182(2014) and 2244(2015);

(b) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions;

(c) "Committee" means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 11 of Resolution 751(1992);

(2) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.

3. Application of Order to individuals and entities:- The provisions of this Order, apply to individuals and entities listed in annexure 5 and shall also include individuals and entities as designated by the Committee from time to time and updated and specified on their website: http://www.un.org/sc/Committees/751/pdf/751_1907.pdf.

4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolutions on Somalia: - The Central Government shall have all the powers to take necessary measures to,

I. Arms Embargo:

(a) implement a general and complete arms embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Somalia until the Council decides otherwise;

(b) prevent the direct or indirect supply of weapons, military equipment, technical assistance, training, financial and other assistance, related to military activities, or to the supply of arms, to the individuals or entities designated by the Committee;

(c) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of weapons and military equipment and the direct or indirect supply of technical assistance or training, financial and other assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to the individuals or entities designated by the Committee.

Provided that the aforesaid provisions of arms embargo shall not apply to the following namely: –

(i) supplies of items that have been approved in advance by the Committee on a case by-case basis {reference paragraph 7 of resolution 2111(2013)};

(ii) deliveries of weapons or military equipment or the provision of advice, assistance or training, intended solely for the development of the Security Forces of the Federal Government of Somalia, to provide security for the Somali people, except in relation to deliveries of the items set out in the annex of resolution 2111(2013) {reference paragraph 10(a) of resolution 2111(2013)};

(iii) supplies of weapons or military equipment or the provision of assistance, intended solely for the support of or use by-

(a) United Nations personnel United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) {reference paragraph 10 (a) of resolution 2111(2013)};

(b) African Union Mission in Somalia (AMISOM) {reference paragraph 10(b) of resolution 2111(2013)};

(c) AMISOM's strategic partners, operating solely under the African Union Strategic Concept of 5 January 2012 (or subsequent AU strategic concepts), and in cooperation and coordination with AMISOM {reference paragraph 10 (c) of resolution 2111(2013)};

(d) European Union Training Mission (EUTM) in Somalia; {reference paragraph 10(d) of resolution 2111(2013)};

(iv) supplies of weapons and military equipment destined for the sole use of United Nations Member States or international, regional and sub-regional organizations undertaking measures to suppress acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, upon the request of the Federal Government of Somalia for which it has notified the Secretary-General, and provided that any measures undertaken shall be consistent with applicable international humanitarian and human rights law {reference paragraph 10(c) of resolution 2111(2013)};

(v) supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Somalia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only {reference paragraph 10(f) of resolution 2111(2013)};

(vi) supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, notified to the Committee five days in advance and for its information only, by the Government of India, international, regional or sub-regional organization {reference paragraph 10(g) of resolution 2111(2013)};

(vii) supplies of weapons or military equipment and technical assistance or training by Member States or international, regional and subregional organizations intended solely for the purposes of helping develop Somali security sector institutions, in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of receiving a notification of any such assistance from the Government of India, international, regional or sub-regional organization {reference paragraph 11(a) of resolution 2111(2013)}.

II. Travel Ban:

Prevent the entry into or transit through the territory of India of individuals designated by the Committee, provided that nothing in this paragraph shall oblige Government of India to refuse its own nationals entry into its territory:

Provided that the aforesaid provisions of travel ban shall not apply to following namely: -

(i) where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation {reference paragraph 2(a) of resolution 1844(2008)};

(ii) where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption shall otherwise further the objectives of peace and national reconciliation in Somalia and stability in the region {reference paragraph 2(b) of resolution 1844(2008)}.

III. Asset Freeze:

(a) freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are located in India, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them;

(b) ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by Indian nationals or by any individuals or entities within territory of India, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee:

Provided that the aforesaid provisions of asset freeze shall not apply to the following funds and other economics measures that have been determined by the Government of India, namely:-

(i) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the Government of India to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources, and in the absence of a negative decision by the Committee within three working days of such notification {reference paragraph 4 (a) of resolution 1844(2008)};

(ii). to be necessary for extraordinary expenses as approved by the Committee {reference paragraph 4 (b) of resolution 1844(2008);

(iii). to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered into prior to date of adoption of resolution 1844(2008) (20th November 2008), is not for the benefit of a person or entity designated, and has been notified by Government of India to the Committee {reference paragraph 4 (c) of resolution 1844(2008)};

(iv). interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen) {reference paragraph 5 of resolution 1844(2008)}.

IV. Charcoal Ban

Prevent the direct or indirect import of charcoal from Somalia, whether or not such charcoal originated in Somalia.

5. Powers of the Central Government to give effect to the Resolutions on Eritrea: - The Central Government shall have all the powers to take necessary measures to**,**

I. Arms Embargo

(a) prevent the sale or supply to Eritrea by Indian nationals or from the territory of India or using Indian flag vessels or aircraft, of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial and other assistance, related to the military activities or to the provision, manufacture, maintenance or use of these items, whether or not originating in India;

(b) prohibit the procurement of the items, training and assistance from Eritrea by Indian nationals, or using Indian flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of Eritrea;

(c) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer by Indian nationals or from the territory of India or using Indian flag vessels or aircraft of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned and the direct or indirect supply of technical assistance or training, financial and other assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to the individuals or entities designated by the Committee.

Provided that the aforesaid provisions of arms embargo shall not apply to to the following namely:

(i) supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, as approved on case-by-case basis in advance by the Committee {reference paragraph 12 of resolution 2111(2013)};

(ii) protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Eritrea by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only {reference paragraph 13 of resolution 2111(2013)}.

II.Travel Ban

Prevent the entry into or transit through the territory of India, of individuals designated by the Committee, provided that nothing in this paragraph shall oblige Government of India to refuse its own nationals entry into its territory.

Provided that the above said provisions of travel ban shall not apply to the following namely:

(i) where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation {reference paragraph 11 of resolution 1907(2009)};

(ii) where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption shall otherwise further the objectives of peace and stability in the region; {reference paragraph 11(b) of resolution 1907(2009)}.

III. Asset Freeze

(a) freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are located in India, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or their direction;

(b) ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by Indian nationals or by any individuals or entities within territory of India, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee.

Provided that the above said provisions of assets freeze shall not apply to funds and other economic measures that have been determined by the Government of India namely: -

(i) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicinesand medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the Government of India to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources, and in the absence of a negative decision by the Committee within three working days of such notification {reference paragraph 14 (a) of resolution 1907(2009)};

(ii) to be necessary for extraordinary expenses as approved by the Committee {reference paragraph 14 (b) of 1907(2009)};

(iii) to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered into prior to the date of adoption of resolution 1907(2009) (23rd December 2009) is not for the benefit of a person or entity designated, and has been notified by Government of India to the Committee {reference paragraph 4 (c) of 1907(2009)}.

Schedule

[See paragraph 2 (b)]

Annexure 1

Resolution 733(1992)

of 23 January 1992

The Security Council,

Considering the request by Somalia for the Security Council to consider the situation in Somalia, *Having heard* the report of the Secretary-General on the situation in Somalia and commending the initiative taken by him in the humanitarian field,

Gravely alarmed at the rapid deterioration of the situation in Somalia and the heavy loss of human life and widespread material damage resulting from the conflict in the country and aware of its consequences on stability and peace in the region,

Concerned that the continuation of this situation constitutes, as Stated in the report of the Secretary-General, a threat to international peace and security,

Recalling its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security,

Recalling also the provisions of Chapter VIII of the Charter,

Expressing its appreciation to the international and regional organizations that have provided assistance to the populations affected by the conflict and deploring that personnel of these organizations have lost their lives in the exercise of their humanitarian tasks,

Taking note of the appeals addressed to the parties by the Chairman of the Organization of the Islamic Conference on 16 December 1991, the Secretary-General of the Organization of African Unity on 18 December 1991 and the League of Arab States on 5 January 1992,

1. *Takes note* of the report of the Secretary-General on the situation in Somalia and expresses its concern with the situation prevailing in that country ;

2. *Requests* the Secretary-General immediately to undertake the necessary actions to increase humanitarian assistance by the United Nations and its specialized agencies to the affected population in all parts of Somalia in liaison with the other international humanitarian organizations and to this end to appoint a coordinator to oversee the effective delivery of this assistance;

3. *Also requests* the Secretary-General of the United Nations, in cooperating with the Secretary-General of the Organization of African Unity and the Secretary-General of the League of Arab States, immediately to contact all parties involved in the conflict, to seek their commitment to the cessation of hostilities in Orderto permit the humanitarian assistance to be distributed, to promote a cease fire and compliance therewith, and to assist in the process of a political settlement of the conflict in Somalia;

4. *Strongly urges* all parties to the conflict immediately to cease hostilities and agree to a cease-fire and to promote the process of reconciliation and of political settlement in Somalia;

5. *Decides,* under Chapter VII of the Charter of the United Nations, that all States shall, for the purposes of establishing peace and stability in Somalia, immediately implement a general and complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Somalia until the Council decides otherwise;

6. *Calls on* all States to refrain from any action which might contribute to increasing tension and to impeding or delaying a peaceful and negotiated outcome to the conflict in Somalia, which would permit all Somalis to decide upon and to construct their future in peace;

7. *Calls upon* all parties to cooperate with the Secretary-General to this end and to facilitate the delivery by the United Nations, its specialized agencies and other humanitarian organizations of humanitarian assistance to all those in need of it, under the supervision of the coordinator;

8. *Urges* all parties to take all the necessary measures to ensure the safety of personnel sent to provide humanitarian assistance, to assist them in their tasks and to ensure full respect for the rules and principles of international law regarding the protection of civilian populations;

9. *Calls upon* all States and international organizations to contribute to the efforts of humanitarian assistance to the population in Somalia;

10. *Requests* the Secretary-General to report to the Security Council as soon as possible on this matter;

11. *Decides* to remain seized of the matter until a peaceful solution is achieved

Annexure 2

Resolution 1844 (2008)

Adopted by the Security Council at its 6019th meeting, on

20 November 2008

The Security Council,

Recalling its previous resolutions concerning the situation in Somalia, in particular resolution 733 (1992), resolution 751 (1992), resolution 1356 (2001), resolution 1425 (2002), resolution 1519 (2003), resolution 1676 (2006), resolution 1725 (2006), resolution 1744 (2007), resolution 1772 (2007), resolution 1801 (2008), resolution 1811 (2008), and resolution 1814 (2008), and the statements of its President, in particular those of 13 July 2006 (S/PRST/2006/31), 22 December 2006 (S/PRST/2006/59), 30 April 2007 (S/PRST/2007/13), and 14 June 2007 (S/PRST/2007/19), and recalling also its resolution 1730 (2006) on general issues relating to sanctions,

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia,

Underlining the importance of providing and maintaining stability and security throughout Somalia,

Reaffirming its condemnation of all acts of violence in Somalia and incitement to violence inside Somalia, and expressing its concern at all acts intended to prevent or block a peaceful political process,

Expressing its grave concern over the recent increase in acts of piracy and armed robbery at sea against vessels off the coast of Somalia, and noting the role piracy may play in financing embargo violations by armed groups, as described in the statement of 9 October 2008 by the Chairman of the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) (hereinafter "the Committee") to the Security Council,

Emphasizing the continued contribution made to Somalia's peace and security by the arms embargo imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992), as elaborated and amended by resolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) and 1772 (2007), and reiteratingits demand that all Member States, in particular those in the region, comply fully with the requirements of these resolutions,

Recalling its intention, outlined in paragraph 6 of resolution 1814 (2008), to take measures against those who seek to prevent or block a peaceful political process, or those who threaten the Transitional Federal Institutions (TFIs) of Somalia or the African Union Mission in Somalia (AMISOM) by force, or take action that undermines stability in Somalia or the region,

Further recalling its intention to strengthen the effectiveness of the United Nations arms embargo on Somalia, outlined in paragraph 7 of resolution 1814 (2008), and to take measures against those who breach the arms embargo, and those who support them in doing so,

Recalling also its request, outlined in paragraphs 6 and 7 of resolution 1814 (2008), to the Committee to provide recommendations on specific targeted measures to be imposed against such individuals or entities,

Taking note of the letter of 1 August 2008 from the Vice-Chairman of the Committee to the President of the Security Council,

Determining that the situation in Somalia continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee pursuant to paragraph 8 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse itsown nationals entry into its territory;

2. *Decides* that the measures imposed by paragraph 1 above shall not apply:

(a) where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation; or

(b) where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would otherwise further the objectives of peace and national reconciliation in Somalia and stability in the region;

3. *Decides* that all Member States shall freeze without delay the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee pursuant to paragraph 8 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of such individuals or entities;

4. *Decides* that the measures imposed by paragraph 3 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:

(a) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources, and in the absence of a negative decision by the Committee within three working days of such notification;

(b) to be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 3 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;

5. *Decides* that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 3 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

6. *Reaffirms* the general and complete arms embargo against Somalia imposed by resolution 733 (1992), as elaborated and amended by resolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) and 1772 (2007);

7. *Decides* that all Member States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of weapons and military equipment and the direct or indirect supply of technical assistance or training, financial and other assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to the individuals or entities designated by the Committee pursuant to paragraph 8 below;

8. *Decides* that the provisions of paragraphs 1, 3 and 7 above shall apply to individuals, and that the provisions of 3 and 7 above shall apply to entities, designated by the Committee;

(a) as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force;

(b) as having acted in violation of the general and complete arms embargo reaffirmed in paragraph 6 above;

(c) as obstructing the delivery of humanitarian assistance to Somalia, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Somalia;

9. *Decides* that the measures outlined in paragraphs 1, 3 and 7 above cease to apply in respect of such individuals or entities if, and at such time as the Committee removes them from the list of designated individuals and entities;

10. *Underlines* the importance of co-ordination by the Committee with other United Nations Sanctions Committees and with the Special Representative of the Secretary-General;

11. *Decides* further to expand the mandate of the Committee as set out in resolution 751(1992) to include the following tasks:

(a) to monitor, with the support of the Monitoring Group established pursuant to resolution 1519 (2003), implementation of the measures imposed in paragraphs 1, 3 and 7 above, in addition to the general and complete arms embargo reaffirmed in paragraph 6 above;

(b) to seek from all Member States, in particular those in the region, information regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraphs 1, 3 and 7 above and whatever further information it may consider useful in this regard;

(c) to examine information regarding alleged violations of measures imposed by paragraphs 1, 3 and 7 above, paragraph 5 of resolution 733 (1992) and paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002), and take appropriate action if necessary;

(d) to designate individuals and entities pursuant to paragraphs 3 and 8 above, upon the request of Member States as referred to in paragraph 12 below;

(e) to consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraphs 2 and 4 above;

(f) to review regularly the list of individuals and entities designated by the Committee pursuant to paragraphs 3 and 8 above, with a view to keeping the list as updated and accurate as possible and to confirm that listing remains appropriate, and to encourage Member States to provide any additional information whenever such information becomes available;

(g) to report at least every 120 days to the Security Council on its work and on the implementation of this resolution, with its observations and recommendations, in particular on ways tostrengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraphs 1, 3 and 7 above;

(h) to identify possible cases of non-compliance with the measures pursuant to paragraphs 1, 3, and 7 above and to determine the appropriate course of action on each case, and requests the Chairman, in periodic reports to the Council pursuant to paragraph 11 (g) above to provide progress reports on the Committee's work on this issue;

(i) to amend its existing guidelines to facilitate the implementation of the measures imposed by this resolution and keep these guidelines under active review as may be necessary;

Listing

12. *Encourages* Member States to submit to the Committee for inclusion on its list of designees, names of individuals orentities who meet the criteria set out in paragraph 8 above, as well as any entities owned or controlled, directly or indirectly, by the submitted individuals or entities or individuals or entities acting on behalf of or at the direction of the submitted entities;

13. *Decides* that, when proposing names tothe Committee for listing, Member States shall provide a detailed statement of case, together with sufficient identifying information to allow for the positive identification of individuals and entities by Member States, and decides furtherthat for each such proposal Member States shall identify those parts of the statement of case that may be publicly released, including for use by the Committee for development of the summary described in paragraph 14 below or for the purpose of notifying or informing the listed individual or entity, and those parts which may be released upon request to interested States;

14. *Directs* the Committee in coordination with the relevant designating States and with the assistance of the Monitoring Group, after a name is added to the list, to make accessible on the Committee's website a narrative summary of reasons for listing;

15. *Decides* that the Secretariat shall, after publication but within one week after a name is added to the list of individuals and entities, notify the Permanent Mission of the country or countries where the individual or entity is believed to be located and, in the case of individuals, the country of which the person is a national (to the extent this information is known) and to include with this notification a copy of the publicly releasable portion of the statement of case, any information on reasons for listing available on the Committee's website, a description of the effects of designation, the Committee's procedures for considering delisting requests, and the provisions regarding available exemptions;

16. *Demands* that Member States receiving notification as in paragraph 15 above take, in accordance with their domestic laws and practices, all possible measures to notify or inform in a timely manner the listed individual or entity of the designation, together with the information provided by the Secretariat as set out in paragraph 15 above;

17. *Encourages* Member States receiving notification as in paragraph 15 above to inform the Committee on steps they have taken to implement the measures set out in paragraphs 1, 3 and 7 above;

Delisting

18. *Welcomes* the establishment within the Secretariat of the Focal Point, pursuant to resolution 1730 (2006), that provides listed individuals, groups, undertakings or entities with the option to submit a petition for de-listing directly to the Focal Point;

19. *Urges* designating States and States of citizenship and residence to review de-listing petitions received through the Focal Point, in accordance with the procedures outlined in the annex to resolution 1730 (2006), in a timely manner and to indicate whether they support or oppose the request in Order to facilitate the Committee's review;

20. *Directs* the Committee to consider requests, in accordance with its guidelines, for the removal from the Committee's list of designees those who no longer meet the criteria pursuant to this resolution;

21. *Decides* that the Secretariat shall, within one week after a name is removed from the Committee's list of designees, notify the Permanent Mission of the country or countries where the individual or entity is believed to be located and, in the case of individuals, the country of which the person is a national (to the extent this information is known), and demands that States receiving such notification take measures, in accordance with their domestic laws and practices, to notify or inform the concerned individual or entity of the delisting in a timely manner;

22. *Encourages* the Committee to ensure that fair and clear procedures exist for placing individuals and entities on the Committee's list of designees and for removing them as well as for granting humanitarian exemptions;

23. *Decides* that the mandate of the Monitoring Group, as set out in paragraph 3 of resolution 1811 (2008) shall also include the tasks outlined below:

(a) to assist the Committee in monitoring implementation of this resolution by providing any information on violations, of the measures imposed in paragraphs 1, 3 and 7 above, in addition to the general and complete arms embargo reaffirmed in paragraph 6 above;

(b) to include in its reports to the Committee any information relevant to the Committee's designation of the individuals and entities described in paragraph 8 above;

(c) to assist the Committee in compiling narrative summaries referred to in paragraph 14 above;

24. *Reminds* all Member States of their obligation to implement strictly the measures imposed by this and all relevant resolutions;

25. *Decides* that all Member States shall report to the Committee within 120 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 1 to 7 above;

26. *Decides* to review the measures outlined in paragraphs 1, 3 and 7 above, within 12 months;

27. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annexure 3

Resolution 1907 (2009)

Adopted by the Security Council at its 6254th meeting, on

23 December 2009

The Security Council,

Recalling its previous resolutions and statements of its President concerning the situation in Somalia and the border dispute between Djibouti and Eritrea, in particular its resolutions 751 (1992), 1844 (2008), and 1862 (2009), and its statements of 18 May 2009 (S/PRST/2009/15), 9 July 2009 (S/PRST/2009/19), 12 June 2008 (S/PRST/2008/20),

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, and political independence and unity of Somalia, Djibouti and Eritrea, respectively,

Expressing the importance of resolving the border dispute between Djibouti and Eritrea,

Reaffirming that the Djibouti Agreement and Peace Process represent the basis for a resolution of the conflict in Somalia, and further reaffirming its support for the Transitional Federal Government (TFG),

Noting the decision of the 13th Assembly of the African Union (AU) in Sirte, Libya, calling on the Council to impose sanctions against foreign actors, both within and outside the region, especially Eritrea, providing support to the armed groups engaged in destabilization activities in Somalia and undermining the peace and reconciliation efforts as well as regional stability (S/2009/388),

Further noting the decision of the 13th Assembly of the AU in Sirte, Libya expressing its grave concern at the total absence of progress regarding the implementation by Eritrea of, inter alia, resolution 1862 (2009) regarding the border dispute between Djibouti and Eritrea (S/2009/388),

Expressing its grave concern at the findings of the Monitoring Group re-established by resolution 1853 (2008) as outlined in its December 2008 report (S/2008/769) that Eritrea has provided political, financial and logistical support to armed groups engaged in undermining peace and reconciliation in Somalia and regional stability,

Condemning all armed attacks on TFG officials and institutions, the civilian population, humanitarian workers and the African Union Mission to Somalia (AMISOM) personnel,

Expressing its grave concern at Eritrea's rejection of the Djibouti Agreement, as noted in the letter of 19 May 2009, from the Permanent Representative of Eritrea to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/2009/256),

Recalling its resolution 1844 (2008) in which it decided to impose measures against individuals or entities designated as engaging in or providing support to acts that threaten peace, security and stability in Somalia, acting in violation of the arms embargo or obstructing the flow of humanitarian assistance to Somalia,

Expressing its appreciation of the contribution of AMISOM to the stability of Somalia, and further expressing its appreciation for the continued commitment to AMISOM by the Governments of Burundi and Uganda,

Reiterating its intention to take measures against those who seek to prevent or block the Djibouti Peace Process,

Expressing its deep concern that Eritrea has not withdrawn its forces to the status quo ante, as called for by the Security Council in its resolution 1862 (2009) and the statement of its President dated 12 June 2008 (S/PRST/2008/20),

Reiterating its serious concern at the refusal of Eritrea so far to engage in dialogue with Djibouti, or to accept bilateral contacts, mediation or facilitation efforts by sub-regional or regional organizations or to respond positively to the efforts of the Secretary-General,

Taking note of the letter of the Secretary-General issued on 30 March 2009 (S/2009/163), and the subsequent briefings by the Secretariat on the Djibouti-Eritrea conflict,

Noting that Djibouti has withdrawn its forces to the status quo ante and cooperated fully with all concerned, including the United Nations fact-finding mission and the good offices of the Secretary-General,

Determining that Eritrea's actions undermining peace and reconciliation in Somalia as well as the dispute between Djibouti and Eritrea constitute a threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Reiterates* that all Member States, including Eritrea, shall comply fully with the terms of the arms embargo imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992), as elaborated and amended by resolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) and 1772 (2007) on Somalia and the provisions of resolution 1844 (2008);

2. *Calls upon* all Member States, including Eritrea, to support the Djibouti Peace Process and support reconciliation efforts by the TFG in Somalia, and demands that Eritrea cease all efforts to destabilize or overthrow, directly or indirectly, the TFG;

3. *Reiterates* its demand that Eritrea immediately comply with resolution 1862 (2009) and:

(i) Withdraw its forces and all their equipment to the positions of the status quo ante, and ensure that no military presence or activity is being pursued in the area where the conflict occurred in Ras Doumeira and Doumeira Island in June 2008;

(ii) Acknowledge its border dispute with Djibouti in Ras Doumeira and Doumeira Island, engageactively in dialogue to defuse the tension and engage also in diplomatic efforts leading to a mutually acceptable settlement of the border issue; and,

(iii) Abide by its international obligations as a Member of the United Nations, Respect the principles mentioned in Article 2, paragraphs 3, 4, and 5, and Article 33 of the Charter, and cooperate fully with the Secretary-General, in particular through his proposal of good offices mentioned in paragraph 3 of resolution 1862 (2009);

4. *Demands* that Eritrea make available information pertaining to Djiboutian combatants missing in action since the clashes of 10 to 12 June, 2008 so that those concerned may ascertain the presence and condition of Djiboutian prisoners of war;

5. *Decides* that all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the sale or supply to Eritrea by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial and other assistance, related to the military activities or to the provision, manufacture, maintenance or use of these items, whether or not originating in their territories;

6. *Decides* that Eritrea shall not supply, sell or transfer directly or indirectly from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft any arms or related materiel, and that all Member States shall prohibit the procurement of the items, training and assistance described in paragraph 5 above from Eritrea by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of Eritrea;

7. *Calls upon* all Member States to inspect, in their territory, including seaports and airports, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, all cargo to and from Somalia and Eritrea, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 5 and 6 of this resolution or the general and complete arms embargo to Somalia established pursuant to paragraph 5 of resolution 733 (1992) and elaborated and amended by subsequent resolutions for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

8. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of items prohibited by paragraphs 5 and 6 above, seize and dispose (either by destroying or rendering inoperable) items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 5 and 6 of this resolution and decides further that all Member States shall cooperate in such efforts;

9. *Requires* any Member State when it finds items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 5 and 6 of this resolution to submit promptly a report to the Committee containing relevant details, including the steps taken to seize and dispose of the items;

10. *Decides* that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals, designated by the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) and expanded by resolution 1844 (2008) (herein "the Committee") pursuant to the criteria in paragraph 15 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse entry into its territory to its own nationals;

11. *Decides* that the measures imposed by paragraph 10 above shall not apply:

(a) where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation; or,

(b) where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would otherwise further the objectives of peace and stability in the region;

12. *Decides* that all Member States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned and the direct or indirect supply of technical assistance or training, financial and other assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to the individuals or entities designated by the Committee pursuant to paragraph 15 below;

13. *Decides* that all Member States shall freeze without delay the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories on the date of adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the entities and individuals designated by the Committee pursuant to paragraph 15 below, or by individuals or entities acting on their behalf or their direction, and decides further that all Member States shall ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories to or for the benefit of such individuals or entities;

14. *Decides* that the measures imposed by paragraph 13 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:

(a) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant Member State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources, and in the absence of a negative decision by the Committee within three working days of such notification;

(b) to be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant Member State(s) to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 13 above, and has been notified by the relevant Member State(s) to the Committee;

15. *Decides* that the provisions of paragraph 10 above shall apply to individuals, including but not limited to the Eritrean political and military leadership, and that the provisions of paragraphs 12 and 13 above shall apply to individuals and entities, including but not limited to Eritrean political and military leadership, governmental, and parastatal entities, and entities privately owned by Eritrean nationals living within or outside of Eritrean territory, designated by the Committee:

(a) as violating the measures established by paragraphs 5 and 6 above;

(b) as providing support from Eritrea to armed opposition groups which aim to destabilize the region;

(c) as obstructing implementation of resolution 1862 (2009) concerning Djibouti;

(d) as harbouring, financing, facilitating, supporting, organizing, training, or inciting individuals or groups to perpetrate acts of violence or terrorist acts against other States or their citizens in the region;

(e) as obstructing the investigations or work of the Monitoring Group;

16. *Demands* that all Member States, in particular Eritrea, cease arming, training, and equipping armed groups and their members including al-Shabaab, that aim to destabilize the region or incite violence and civil strife in Djibouti;

17. *Demands* Eritrea cease facilitating travel and other forms of financial support to individuals or entities designated by the Committee and other Sanctions Committees, in particular the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999), in line with the provisions set out in the relevant resolutions;

18. *Decides* to further expand the mandate of the Committee to undertake the additional tasks:

(a) To monitor, with the support of the Monitoring Group, the implementation of the measures imposed in paragraphs 5, 6, 8, 10, 12 and 13 above;

(b) To designate those individuals or entities subject to the measures imposed by paragraphs 10, 12 and 13 above, pursuant to criteria set forth in paragraph 15 above;

(c) To consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraphs 11 and 14 above;

(d) To update its guidelines to reflect its additional tasks;

19. *Decides* to further expand the mandate of the Monitoring Group re-established by resolution 1853 (2008) to monitor and report on implementation of the measures imposed in this resolution and undertake the tasks outlined below, and requests the Secretary-General to make appropriate arrangements for additional resources and personnel so that the expanded Monitoring Group may continue to carry out its mandate, and in addition:

(a) Assist the Committee in monitoring the implementation of the measures imposed in paragraphs 5, 6, 8,10, 12 and 13 above, including by reporting any information on violations;

(b) Consider any information relevant to implementation of paragraphs 16 and 17 above that should be brought to the attention of the Committee;

(c) Include in its reports to the Security Council any information relevant to the Committee's designation of the individuals and entities described in paragraph 15 above;

(d) Coordinate as appropriate with other Sanctions Committees' panels of experts in pursuit of these tasks;

20. *Calls upon* all Members States to report to the Security Council within 120 days of the adoption of this resolution on steps they have taken to implement the measures outlined in the paragraphs 5, 6, 10, 12 and 13 above;

21. *Affirms* that it shall keep Eritrea's actions under review and that it shall be prepared to adjust the measures, including through their strengthening, modification, or lifting, in light of Eritrea's compliance with the provisions of this resolution;

22. *Requests* the Secretary-General to report within 180 days on Eritrea's compliance with the provisions of this resolution;

23. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annexure 4

Resolution 2111 (2013)

Adopted by the Security Council at its 7009th meeting, on

24 July 2013

The Security Council,

Reaffirming its previous resolutions and Statements of its President concerning the situation in Somalia and Eritrea, in particular resolutions 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012) and 2093 (2013),

Taking note of the final reports of the Somalia and Eritrea Monitoring Group (the Monitoring Group) on Somalia (S/2013/413) and Eritrea,

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia, Djibouti and Eritrea respectively,

Expressing concern at the continued violation of the charcoal ban, and expressing particular concern over the situation in Kismayo and the impact of these violations on the deteriorating security situation in the Juba regions,

Condemning flows of weapons and ammunition supplies to and through Somalia and Eritrea in violation of the arms embargo on Somalia and the arms embargo on Eritrea, as a serious threat to peace and stability in the region,

Expressing concern at the reports of violations of human rights, including extrajudicial killings, violence against women, children and journalists, arbitrary detention and pervasive sexual violence in Somalia, including in camps for internally displaced persons, and underscoring the need to end impunity, uphold human rights and to hold accountable those who commit such crimes,

Underlining the importance of the Federal Government of Somalia and donors being mutually accountable and transparent in the allocation of financial resources,

Recognizing the significant progress in Somalia over the past year, commending the Federal Government of Somalia for its efforts to bring peace and stability to Somalia, and encouragingit to set out and define a clear political process towards implementing a federal structure, in line with the provisional constitution of Somalia,

Encouraging the engagement of the Federal Government of Somalia in identifying for listing individuals and entities engaging in acts that threaten the peace, security and stability of Somalia, as well as other listing criteria,

Welcoming the intention of the Monitoring Group to continue building a productive relationship with the Federal Government of Somalia,

Expressing concern at the level of information sharing between humanitarian agencies and the Monitoring Group, and urging enhanced information sharing and dialogue between the Monitoring Group and relevant humanitarian agencies,

Expressing its desire to consolidate and affirm current exemptions to the arms embargo on Somalia and Eritrea in Orderto facilitate its implementation as well as to add new exemptions in operative paragraph 10 of this resolution,

Looking forward to the EU-Somalia Conference in Brussels on 16 September, and in that context urging the international community to work together to ensure Somali government priorities are effectively supported,

Underlining the importance of international support to the Federal Government of Somalia in fulfilling its commitments under the terms of the suspension of the arms embargo,

Welcoming the efforts made by the Secretariat to expand and improve the roster of experts for the Security Council Subsidiary Organs Branch, bearing in mind the guidance provided by the Note of the President S/2006/997,

Recalling the Informal Working Group on General Issues of Sanctions report (S/2006/997) on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 23 that discuss possible steps for clarifying methodological standards for monitoring mechanisms,

Determining that the situation in Somalia, Eritrea's influence in Somalia, as well as the dispute between Djibouti and Eritrea, continue to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Recalls* resolution 1844 (2008) which imposed targeted sanctions and resolutions 2002 (2011) and 2093 (2013) which expanded the listing criteria, and notes one of the listing criteria under resolution 1844 (2008) is engaging in acts that threaten the peace, security and stability of Somalia;

2. *Reiterates* its willingness to adopt targeted measures against individuals and entities on the basis of the above mentioned criteria;

3. *Reiterates* that obstructing the investigations or work of the Monitoring Group is a criterion for listing under paragraph 15 (c) of resolution 1907 (2009);

Arms embargo

4. *Reaffirms* the arms embargo on Somalia, imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) and further elaborated upon in paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002) and modified by paragraphs 33 to 38 of resolution 2093 (2013) (hereafter referred to as "the arms embargo on Somalia");

5. *Further reaffirms* the arms embargo on Eritrea imposed by paragraphs 5 and 6 of resolution 1907 (2009) (hereafter referred to as "the arms embargo on Eritrea");

6. *Decides* that until 6 March 2014 the arms embargo on Somalia shall not apply to deliveries of weapons or military equipment or the provision of advice, assistance or training, intended solely for the development of the Security Forces of the Federal Government of Somalia, to provide security for the Somali people, except in relation to deliveries of the items set out in the annex to this resolution;

7. *Decides* that supplies of items in the annex to this resolution to the Federal Government of Somalia by Member States or international, regional, and subregional organizations require an advance approval by the Committee on a case by-case basis;

8. *Decides* that weapons or military equipment sold or supplied solely for the development of the Security Forces of the Federal Government of Somalia may not be resold to, transferred to, or made available for use by, any individual or entity not in the service of the Security Forces of the Federal Government of Somalia;

9. *Reminds* the Federal Government of Somalia of its obligations to report to the Security Council no later than 6 October 2013, following that by 6 February 2014, and every six months thereafter, on:

(a) The structure of the Security Forces of the Federal Government of Somalia;

(b) The infrastructure in place to ensure the safe storage, registration, maintenance and distribution of military equipment by the Security Forces of the Federal Government of Somalia;

(c) The procedures and codes of conduct in place for the registration, distribution, use and storage of weapons by the Security Forces of the Federal Government of Somalia, and on training needs in this regard;

10. *Decides* that the arms embargo on Somalia shall not apply to:

(a) Supplies of weapons or military equipment or the provision of assistance, intended solely for the support of or use by United Nations personnel, including the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM);

(b) Supplies of weapons and military equipment, technical training and assistance intended solely for the support of or use by the African Union Mission in Somalia (AMISOM);

(c) Supplies of weapons or military equipment or the provision of assistance intended solely for the support of, or use by, AMISOM's strategic partners, operating solely under the African Union Strategic Concept of 5 January 2012 (or subsequent AU strategic concepts), and in cooperation and coordination with AMISOM;

(d) Supplies of weapons and military equipment, technical training and assistance intended solely for the support of or use by the European Union Training Mission (EUTM) in Somalia;

(e) Supplies of weapons and military equipment destined for the sole use of Member States or international, regional and subregional organizations undertaking measures to suppress acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, upon the request of the Federal Government of Somalia for which it has notified the Secretary-General, and provided that any measures undertaken shall be consistent with applicable international humanitarian and human rights law;

(f) Supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Somalia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only;

(g) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, notified to the Committee five days in advance and for its information only, by the supplying State, international, regional or subregional organization;

11. *Further decides* that the arms embargo on Somalia shall not apply to:

(a) Supplies of weapons or military equipment and technical assistance or training by Member States or international, regional and subregional organizations intended solely for the purposes of helping develop Somali security sector institutions, in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of receiving a notification of any such assistance from the supplying State, international, regional or subregional organization;

12. *Decides* that the arms embargo on Eritrea shall not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, as approved on case-by-case basis in advance by the Committee;

13. *Decides* that the arms embargo on Eritrea shall not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Eritrea by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only;

Notification to the Committee

14. *Decides* that the Federal Government of Somalia has the primary responsibility to notify the Committee, for its information at least five days in advance, of any deliveries of weapons or military equipment or the provision of assistance intended solely for the Security Forces of the Federal Government of Somalia, as permitted in paragraph 6 of this resolution and excluding the items listed in the Annex to this resolution;

15. *Further decides* that the Member State or international, regional and sub-regional organization delivering assistance may, in the alternative, make this notification in consultation with the Federal Government of Somalia;

16. *Stresses* the importance that notifications submitted to the Committee in accordance with paragraphs 14 and 15 above, contain all relevant information, including where applicable, the type and quantity of weapons, ammunitions, military equipment and material to be delivered, the proposed date and the specific place of delivery in Somalia;

17. *Calls on* the Federal Government of Somalia to fulfil its obligations under the terms of the suspension of the arms embargo, in particular the notification procedure set out in paragraph 14 of this resolution;

Charcoal ban

18. *Reiterates* that the Somali authorities shall take the necessary measures to prevent the export of charcoal from Somalia and requests that AMISOM support and assist the Somali authorities in doing so, as part of AMISOM's implementation of its mandate set out in paragraph 1 of resolution 2093, and reiterates that all Member States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect import of charcoal from Somalia, whether or not such charcoal originated in Somalia;

19. *Expresses* its deep concern at reports of continuing violations of the charcoal ban by Member States, requests further detailed information from the Monitoring Group on possible environmentally sound destruction of Somali charcoal, reiterates its support for the President of Somalia's task-force on charcoal issues, and underscores its willingness to take action against those who violate the charcoal ban;

20. *Reminds* all Member States, including police and troop contributing contingents to AMISOM, of their obligations to abide by the charcoal ban, as set out in resolution 2036 (2012);

Humanitarian issues

21. *Underscores* the importance of humanitarian aid operations, condemns any politicization of humanitarian assistance, or misuse or misappropriation, and calls upon Member States and the United Nations to take all feasible steps to mitigate these aforementioned practices in Somalia;

22. *Decides* that until 25 October 2014 and without prejudice to humanitarian assistance programmes conducted elsewhere, the measures imposed by paragraph 3 of resolution 1844 (2008) shall not apply to the payment of funds, other financial assets or economic resources necessary to ensure the timely delivery of urgently needed humanitarian assistance in Somalia, by the United Nations, its specialized agencies or programmes, humanitarian organizations having observer status with the United Nations General Assembly that provide humanitarian assistance, and their implementing partners including bilaterally or multilaterally funded NGOs participating in the United Nations Consolidated Appeal for Somalia;

23. *Requests* the Emergency Relief Coordinator to report to the Security Council by 20 March 2014 and again by 20 September 2014 on the delivery of humanitarian assistance in Somalia and on any impediments to the delivery of humanitarian assistance in Somalia, and requests relevant United Nations agencies and humanitarian organizations having observer status with the United Nations General Assembly and their implementing partners that provide humanitarian assistance in Somalia to increase their cooperation and willingness to share information with the United Nations Humanitarian Aid Coordinator for Somalia in the preparation of such reports and in the interests of increasing transparency and accountability;

24. *Requests* enhanced cooperation, coordination and information sharing between the Monitoring Group and the humanitarian organizations operating in Somalia and neighbouring countries

Public financial management

25. *Takes note* of the President of Somalia's commitment to improve public financial management, expresses its serious concern at reports of misappropriation of Somalia's public resources, underlines the importance of transparent and effective management of public finances, encourages more robust efforts across the Federal Government of Somalia to address corruption and hold perpetrators accountable, improve public financial management and accountability, and reiterates its willingness to take action against individuals involved in the misappropriation of public resources;

Petroleum sector

26. *Encourages* the Federal Government of Somalia, to mitigate properly against the risk of the petroleum sector in Somalia becoming a source of increased tension in Somalia;

Mandate of the Monitoring Group

27. *Decides* to extend until 25 November 2014 the mandate of the Somalia and Eritrea Monitoring Group as set out in paragraph 13 of resolution 2060 (2012) and updated in paragraph 41 of resolution 2093 (2013), expresses its intent to review the mandate and take appropriate action regarding the further extension no later than 25 October 2014, and requests the Secretary-General to take the necessary administrative measures as expeditiously as possible to re-establish the Monitoring Group, in consultation with the Committee, for a period of sixteen months from the date of this resolution, drawing, as appropriate, on the expertise of the members of the Monitoring Group established pursuant to previous resolutions;

28. *Requests* the Monitoring Group to submit, for the Security Council's consideration, through the Committee, two final reports; one focusing on Somalia, the other on Eritrea, covering all the tasks set out in paragraph 13 of resolution

2060 (2012) and updated in paragraph 41 of resolution 2093 (2013), no later than thirty days prior to the termination of the Monitoring Group's mandate;

29. *Requests* the Committee, in accordance with its mandate and in consultation with the Monitoring Group and other relevant United Nations entities to consider the recommendations in the reports of the Monitoring Group and recommend to the Council ways to improve the implementation of and compliance with the Somalia and Eritrea arms embargoes, the measures regarding the import and export of charcoal from Somalia, as well as implementation of the targeted measures imposed by paragraphs 1, 3 and 7 of resolutions 1844 (2008) and paragraphs 5, 6, 8, 10, 12 and 13 of resolution 1907 (2009) taking into account paragraph 1 above, in response to continuing violations;

30. *Decides* that the Monitoring Group shall no longer be obliged to submit monthly reports to the Committee in the same months in which it provides its mid-term brief and submits its final reports;

31. *Underlines* the importance of engagement between the Government of Eritrea and the Monitoring Group, and underlines its expectation that the Government of Eritrea will facilitate the entry of the Monitoring Group to Eritrea without any further delay;

32. *Urges* all parties and all States, as well as international, regional and sub-regional organizations, including AMISOM, to ensure cooperation with the Monitoring Group, and ensure the safety of the members of the Monitoring Group, unhindered access, in particular to persons, documents and sites the Monitoring Group deems relevant to the execution of its mandate;

AMISOM

33. *Looks forward* to the results of the upcoming joint review of AMISOM by the Secretariat and the African Union, requests options and recommendations to be presented to the Council by 10 October 2013, and welcomes the African Union's intention to work closely with the Secretariat on the review;

34. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annex

1. Surface to air missiles, including Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS);

2. Guns, howitzers, and cannons with a calibre greater than 12.7 mm, and ammunition and components specially designed for these. (This does not include shoulder fired anti-tank rocket launchers such as RPGs or LAWs, rifle grenades, or grenade launchers.);

3. Mortars with a calibre greater than 82 mm;

4. Anti-tank guided weapons, including Anti-tank Guided Missiles (ATGMs) and ammunition and components specially designed for these items;

5. Charges and devices intended for military use containing energetic materials; mines and related material;

6. Weapon sights with a night vision capability.

Annexure 5

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/Committees/dfp.shtml

A. Individuals

SOi.012 Name: 1: ABUBAKER 2: SHARIFF 3: AHMED 4: na Title: na Designation: na DOB: a) 1962 b) 1967 POB: Kenya Good quality a.k.a.: a) Makaburi b) Sheikh Abubakar Ahmed c) Abubaker Shariff Ahmed d) Abu Makaburi Shariff e) Abubaker Shariff f) Abubakar Ahmed Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Majengo area, Mombasa, Kenya Listed on: 23 Aug. 2012 Other information:

Soi.003 Name: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI Title: na Designation: na DOB: Approximately 1944 POB: Ogaden Region, Ethiopia Good quality a.k.a.: a) AL-TURKI, Hassan b) TURKI, Hassan c) TURKI, Hassan Abdillahi Hersi d) TURKI, Sheikh Hassan e) XIRSI, Xasan Cabdilaahi f) XIRSI, Xasan Cabdulle Low quality a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.004 Name: 1: AHMED 2: ABDI 3: AW-MOHAMED 4: Title: na Designation: na DOB: 10 Jul. 1977 POB: Hargeysa, Somalia Good quality a.k.a.: a) ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman b) ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim c) AW MOHAMMED, Ahmed Abdi d) AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi e) "GODANE" f) "GODANI" g) "MUKHTAR, Shaykh" h) "ZUBEYR, Abu" Low quality a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification no: na Address: Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.002 Name: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: na Title: na Designation: na DOB: 1935 POB: na Good quality a.k.a.: a) ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) AWES, Hassan Dahir c) AWES, Shaykh Hassan Dahir d) AWEYES, Hassen Dahir e) AWEYS, Ahmed Dahir f) AWEYS, Sheikh g) AWEYS, Sheikh Hassan Dahir h) DAHIR, Aweys Hassan i) IBRAHIM, Mohammed Hassan j) OAIS, Hassan Tahir k) UWAYS, Hassan Tahir l) "HASSAN, Sheikh" Low quality a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.001 Name: 1: Yasin 2: Ali 3: Baynah 4: na Title: na Designation: na DOB: 24 Dec. 1965 POB: na Good quality a.k.a.: a) ALI, Yasin Baynah b) ALI, Yassin Mohamed c) BAYNAH, Yasin d) BAYNAH, Yassin e) BAYNAX, Yasiin Cali f) BEENAH, Yasin g) BEENAH, Yassin h) BEENAX, Yasin i) BEENAX, Yassin j) BENAH, Yasin k) BENAH, Yassin l) BENAX, Yassin m) BEYNAH, Yasin n) BINAH, Yassin o) CALI, Yasiin Baynax Low quality a.k.a.: na Nationality: a) Somalia b) Sweden Passport no: na National identification no: na Address: a) Rinkeby, Stockholm, Sweden b) Mogadishu, Somalia Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.014 Name: 1: AHMED 2: DIRIYE 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: Approximately 1972 POB: Somalia Good quality a.k.a.: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha c) Sheikh Ahmed Umar d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim e) Abu Ubaidah f) Abu Diriye Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 24 Sep. 2014 Other information:

Soi.010 Name: 1: OMAR 2: HAMMAMI 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 6 May 1986 POB: Alabama, United States Good quality a.k.a.: a) Abu Maansuur Al-Amriki b) Abu Mansour Al-Amriki c) Abu Mansuur Al-Amriki d) Umar Hammami e) Abu Mansur AlAmriki Low quality a.k.a.: na Nationality: United States. Also believed to hold Syrian nationality Passport no: 403062567 (US) National identification no: Social Security Number 423-31-3021 (US) Address: Somalia Listed on: 28 Jul. 2011 Other information: Married to a Somali woman. Lived in Egypt in 2005 and moved to Somalia in 2009

Soi.005 Name: 1: FUAD 2: MOHAMED 3: KHALAF 4: na Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: a) Fuad Mohamed Khalif b) Fuad Mohamed Qalaf c) Fuad Mohammed Kalaf d) Fuad Mohamed Kalaf e) Fuad Mohammed Khalif f) Fuad Khalaf g) Fuad Shongale h) Fuad Shongole i) Fuad Shangole j) Fuad Songale k) Fouad Shongale l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole Low quality a.k.a.: na Nationality: Somali Passport no: na National identification no: na Address: a) Mogadishu , Somalia b) Somalia Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.006 Name: 1: BASHIR 2: MOHAMED 3: MAHAMOUD 4: na Title: na Designation: na DOB: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982 POB: na Good quality a.k.a.: a) Bashir Mohamed Mahmoud b) Bashir Mahmud Mohammed c) Bashir Mohamed Mohamud d) Bashir Mohamed Mohamoud e) Bashir Yare f) Bashir Qorgab g) Gure Gap h) "Abu Muscab" i) "Qorgab" Low quality a.k.a.: na Nationality: Somali Passport no: na National identification no: na Address: Mogadishu, Somalia Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.008 Name: 1: FARES 2: MOHAMMED 3: MANA'A 4: Title: na Designation: na DOB: 8 Feb. 1965 POB: Sadah, Yemen Good quality a.k.a.: a) Faris Mana'a b) Fares Mohammed Manaa Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: 00514146, issued in Sanaa, Yemen (Date of issue 7 January 1996) National identification no: 1417576, issued in Al-Amana, Yemen (issued on 7 Jan. 1996) Address: na Listed on: 12 Apr. 2010 Other information:

Soi.011 Name: 1: ABOUD 2: ROGO 3: MOHAMMED 4: Title: na Designation: na DOB: a) 11 Nov. 1960 b) 11 Nov. 1967 c) 11 Nov. 1969 d) 1 Jan. 1969 POB: Lamu Island, Kenya Good quality a.k.a.: a) Aboud Mohammad Rogo b) Aboud Seif Rogo c) Aboud Mohammed Rogo d) Sheikh Aboud Rogo e) Aboud Rogo Muhammad f) Aboud Rogo Mohamed Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 25 Jul. 2012 Other information:

Soi.009 Name: 1: HASSAN 2: MAHAT 3: OMAR 4: na Title: na Designation: na DOB: 10 Apr. 1979 POB: Garissa, Kenya Good quality a.k.a.: a) Hassaan Hussein Adam b) Hassane Mahad Omar c) Xassaan Xuseen Adan d) Asan Mahad Cumar e) Abu Salman f) Abu Salmaan g) Sheikh Hassaan Hussein Low quality a.k.a.: na Nationality: Possibly Ethiopian Passport no: A1180173, issued in Kenya (exp. 20 Aug 2017) National identification no: 23446085 (National ID Card) Address: Nairobi, Kenya Listed on: 28 Jul. 2011 Other information:

Soi.013 Name: 1: MAALIM 2: SALMAN 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: Approximately 1979 POB: Nairobi, Kenya Good quality a.k.a.: a) Mu'alim Salman b) Mualem Suleiman c) Ameer Salman d) Ma'alim Suleiman e) Maalim Salman Ali f) Maalim Selman Ali g) Ma'alim Selman h) Ma'alin Sulayman Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 23 Sep. 2014 Other information: B.

Entities and other groups 751 (1992) and 1907 (2009)

001 Name: AL-SHABAAB A.k.a.: a) AL-SHABAB b) SHABAAB c) THE YOUTH d) MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT e) MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT f) MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT g) MYM h) HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN i) HIZBUL SHABAAB j) HISB'UL SHABAAB k) AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA l) YOUTH WING m) AL-SHABAAB ALISLAAM n) AL-SHABAAB AL-JIHAAD o) THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH p) HARAKAT AL – SHABAAB AL – MUJAAHIDIIN q) HARAKATUL SHABAAB AL MUJAAHIDIIN r) MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT F.k.a.: na Address: na

[F. No U-II/152/2/2016]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (Unp)

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.